

Uttar Pradesh have been taken up for implementation. Of these 2 major and 23 medium schemes in Bihar and 2 major and 58 medium schemes in Uttar Pradesh have been completed. The total cost of these schemes is about Rs. 1853 crores and would on full development provide an annual irrigation of 7.83 million hectares. An area of about 7.5 lakh ha. is being irrigated under minor irrigation works utilising surface waters in Uttar Pradesh which is entirely in Ganga Basin Area irrigated under minor works in Bihar utilising surface water is about 9.3 lakh ha. but basin-wise break up of this is not available."

Then it says:

"Delhi draws its water supply at present from Yamuna, supplemented by waters from Bhakra reservoir during non-monsoon months."

Then he says: The supply of drinking water to Delhi from the Upper Ganga Canal as envisaged under the Ramganga Project is being completed. So, Sir, the question was asked whether the Government would really call the representatives and the Chief Ministers of both the States to sit together, to put their heads together and try to find out a solution to save this gigantic port which is being attacked from all sides. Probably, an Agreement is there and the Agreement, everybody knows, is a document about which one does not like to talk much. What are you going to do as a Minister of Shipping and Transport? You have been developing hundreds of little ports between Goa, and Bombay. What about the biggest port which is declining, which is in your hands, which you can save? What about the recruitment of seamen? What about the stevedores policy which leads to the exploitation of workers? On the one hand there is a crude contract system and on the other the strikes are there. All these complexities are there. Therefore, these sort of Bills create

anguish in our mind. It confirms our belief that the Government is incapable of thinking in a big way. It is just like a tottering little boat, drifting from one port to the other. They are afraid of touching the big port. The policy of the Government looks like that. In all these 8 months what are the Bills you have discussed? They should have the guts, the courage to present a comprehensive Bill about all these problems which we have mentioned from both these sides.

Lastly, before I finish, I will agree with Mr. Trivedi that when the port is taken away, a part of the harbour is taken away from the control of the State Government, definitely, the State Government should be consulted and its concurrence is absolutely necessary. A lot of things are taking place today without consulting the State Governments. You have seen about the abolition of food zones. The Chief Minister of West Bengal said that he did not know about it; the information was passed on to him. The same thing happened in the case of Farakka question. The Calcutta Port Trust officials were very scrupulously excluded from any discussion lest the whole thing should come out before the people in these matters. And today when the whole question of Centre-State relations has come out in the open—a subject which is full of controversy, a subject which should be gone into—the suggestions that have come from the newly-converted Janata MP should be given serious consideration. With these words, Sir, I conclude.

DISCUSSION UNDER RULE 176

Problems faced by sugar, gur and Khandsari industries and cane-growers

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now we come to the discussion under Rule 176.

Shri Indradeep Sinha.

SHRI INDRADEEP SINHA (Bihar):
Sir, I rise to raise a discussion on the problems faced by the sugar, gur and khandsari industries and the sugar-cane-growers.

Sir, I need not emphasise the importance of the sugar industry, the gur and the khandsari industry to the crores of sugarcane-growers who depend on this important crop. What I wish to bring to the notice of this House as well as the hon. Minister is the partiality that has consistently been shown towards the sugar mill-owners and the prejudices that have always been operating against the sugarcane-growers, the gur manufacturers and the khandsari manufacturers. I need not go into the past. A Commission was appointed—the Bhargava Commission. It held an enquiry and made a report. The Tariff Commission also looked into the problems of the sugar industry. Unfortunately, the Bhargava Commission was divided but half of its members made a categorical recommendation that the sugar industry should be nationalised in the national interest. That is the aspect of the problem which I shall just mention. The industry is getting more and more sick. The mill-owners are concerned only with extracting profits. They are not caring for the industry. They are not caring for the development of sugarcane. They are not caring for the welfare of the workers. They are not caring for the development of the sugarcane areas and they are making the industry more and more sick day by day. So from the national point of view, it is in the fitness of things that the sugar industry should be nationalised. But apart from nationalisation, there are certain other problems. For example, this year, the sugar mill-owners have raised a hue and cry that there is going to be a surplus of sugar production in the country. The sugar production in the country is expected to be 48 lakh tonnes and, they say, the export quota has been cut down; Government is not promoting exports;

the international prices of sugar have come down; there will not be very much of exports and therefore the industry will be burdened with a carry-over stock of more than 15 lakh tonnes.

So what is the remedy of the mill-owners? Reduction in the excise duty on levy sugar as well as free sale sugar to which the Government has agreed. From newspaper reports it has been said that this will mean a subsidy of Rs. 51 crores per year to the sugar mill owners. But so far as the cane growers are concerned, the Government has refused to give a remunerative price for sugar cane. All the organisations of sugar-cane growers belonging to the various political parties or no political party are unanimous that the minimum price of Rs. 15 per quintal should be paid to the sugar cane growers. But the Government has fixed an uneconomic price of Rs. 8.50 per quintal and is trying to persuade that mill-owners to pay a little more. The result is that in some States the cane growers get Rs. 12-13 per quintal while in the Southern States they are not able to get even Rs. 10 per quintal. There is no uniform price of sugar cane in the country as a whole. Prices vary from State to State, even from region in the same State sometimes from factory to factory in the same State.

Moreover, sugar mill-owners have developed a peculiar habit of taking a forced loan from the sugar-cane growers. Now, the majority of the sugar cane growers are poor people. They do not have adequate financial resources even to finance their own agricultural operations. According to newspaper reports even this year Rs. 23 crores are lying as arrears of sugar cane prices. Sometime back, probably year before last the Government decided that if arrears are due then the sugar mill owners will be required to pay their dues with penal rates of interest. So far these penal rates of interest have not been realised from the sugar mill owners. Even the ar-

rears are not being realised as arrears of land revenue as was demanded by the organisations of cane growers, the All India Kisan Sabha, and other organisations to which the Government's reply last year, I remember, was that there is no such provision in the Central Sugar Cane (Control) Act, and, therefore, the Government was unable to make a provision for realisation of arrears of sugar cane prices as arrears of land revenue.

Now with the installation of the Janata Government a shift has been shown to have taken place in the economic policy of the Government. The Janata Government for example, has pompously declared that preference will be given to a small industry as compared to a big industry. Now, Sir, gur-making and khandsari-making are cottage and small industry respectively compared to the sugar mill which is a big industry. It was expected that the Government will translate this policy into practice. But what is the practice? In order to crush the khandsari industry a levy of heavy excise duty has been imposed with the result that the small khandsari industry is not able to compete with the big vacuum pan manufacturers of sugar.

Secondly, when the gur season comes the Railways collude with the sugar mill-owners and impose restrictions on the movement of gur so that gur prices fall. This happens every year and this has happened this year. I would like to ask, Sir, whether they are prepared to translate their own economic policy into practice on the question of gur and khandsari.

Are they prepared to afford the necessary protection to the khandsari industry and the gur industry? This is in the interest of the cane grower himself because the cane grower himself is the gur maker. So far as khandsari factories are concerned, if the khandsari units are working, then the cane grower can take advantage of the competition between the khandsari

manufacturer and the mill owner and secure a better price for his product. But when khandsari is killed or shut down because of the policies of the Government, then not only are the khandsari manufacturers killed, not only are the khandsari workers rendered unemployed but the cane growers also are killed. So I would like to know from the Government whether they have applied their economic policy to the sphere of gur and khandsari and whether they are prepared to afford the necessary protection to both the gur and khandsari industries.

Thirdly, Sir, sugar mill workers are one of the most exploited in the country. Their wages are determined from time to time. The majority of sugar mill workers are seasonal workers but even the wages determined from time to time are not paid by the sugar mill owners. Many of the workers are discharged and many of them do not get bonus. In several cases even the wages of workers are not paid. I know the case of a sugar mill which is in my home area, the Pachrukhi Sugar Mill. The owners of the factory have not only kept as arrears lakhs of rupees which were due to the cane growers as price of cane but also lakhs of rupees which were due to the sugar mill workers as their wages. They have eaten up the provident fund, they have eaten up gratuity and other contributions of the workers. They have not made contribution to the sugarcane area development fund to which they were supposed to contribute. And having eaten up all the money and defrauded the Government also of much of their dues, now they have closed down the factory, and the Government is sitting tight. The factory is closed for the last two years. Tens of lakhs of rupees belonging to the workers and the cane growers are due and the Government is sitting tight. I wrote to the Agriculture Ministry when the previous Government was in power. I raised the question again, but nothing has been done. So, during this discussion I want to draw the attention of the

[Shri Indradeep Sinha]

Government to the various problems that are now being faced by the sugar industry.

Now, Sir, the international price of sugar is near about Rs. 2,000 per tonne. I do not know if there has been a change recently—it goes on changing from time to time—but this is the latest report that I could get from the press. Now for export purposes the State Trading Corporation purchases sugar from the mill owners at a rate of more than Rs. 3,000 per tonne and this means a subsidy which ran into Rs. 60 crores last year. So, the Government is paying a subsidy of Rs. 60 crores to mill owners. On the export of sugar, it has given an excise rebate of Rs. 51 crores to the mill owners by lowering the excise duty on levy sugar and free sale sugar, but the consumer has not gained even a pie.

The levy price, of course, remains the same. Even the free market prices have shown no decline after the Excise relief was granted to the sugar mill-owners in the hope that the open market prices will fall and the internal consumption of sugar will go up. Why has this not happened? Is it that a majority of our people have their demands for sugar satisfied? No. It is because the prices are so high that an overwhelming majority of the common people cannot afford to buy it. So, what is the solution? We have been demanding that this dual pricing system should be abolished, 100 per cent of the production of sugar by the sugar mills should be taken over by the Government and sold as 'levy sugar' at fixed, reasonable prices. But the Government allows legally the sugar mill-owners to profiteer. Previously, the levy percentage was 70 per cent of the total output of the sugar mills. A few years back, it was brought down, to 65 per cent. This year, there was a talk that it will be further reduced to 60 per cent. Fortunately, the Government has not done it.

But I would like to ask the Government what difficulty is there in restoring the original percentage, going back to 70 per cent. Instead of paying subsidy to the sugar mill-owners for export of sugar, why does the Government not procure enough sugar at levy price to satisfy the demand of the card-holders as well as the demand of the export market? The subsidy can be avoided. But the Government seems to be pursuing a policy of taxing the people, gathering money and paying it to the mill-owners, and, at the same time, talking of helping the poor and decentralising the economy and helping the small industry. They are killing the small industry. So there is a crying contradiction in the professions and practices of the Government.

So, Sir, I would just enumerate the demands that I would like to make. No. 1 is that the sugar industry should be nationalised. Now there is no justification for allowing this industry to be run by the private people.

The sugar industry in the co-operative sector need not be nationalised, but its management should be democratised. Secondly, the dual pricing system should be abolished, the entire production should be taken over by the Government and sold as levy sugar. Thirdly, a minimum price of Rs. 15 per quintal should be guaranteed to the sugar-cane growers throughout the country, in the North as well as in the South.

SHRI N. G. RANGA (Andhra Pradesh): In the South, they are paying them very much less than what they are paying them in the North.

SHRI INDRADEEP SINHA: That is what I pointed out.

SHRI N. G. RANGA: There is no question of a minimum price. A remunerative price must be paid.

SHRI INDRADEEP SINHA: Then, popular representative committees should be set up in every mill area and at every weighing station where sugar-cane is purchased so that they can keep a check on the malpractices resorted to by the mill-owners, like under-weighment, non-payment, etc. And, then, Sir, a proper arrangement for the shelter of the bullocks and the cart-men at the weighing station and at the mill-gate should be made by the sugar factory owners at their own cost. And, lastly, Sir, a guaranteed minimum wage and bonus should be paid to the sugar-cane workers, and the factories which default in the payment of wages or bonus or provident fund or gratuity to the workers should be prosecuted for defalcation and cheating, apart from the sums being realised as arrears of land revenue.

SHRI N. G. RANGA: The same thing applies to the cane-growers also.

SHRI INDRADEEP SINHA: I demand that the arrears of sugar-cane price should be realised as arrears of land revenue with penal rate of interest. And, for this, necessary amendment in the law should be made.

SHRI N. G. RANGA: Canteens for workers and peasants should be provided.

श्री कल्पनाथ राय (उत्तर प्रदेश)
आदरणीय उपसभापति महोदय, आज सदन में चीनी, गन्ना, खांडसारी और गुड़ के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव प्रस्तुत है उसके संबंध में अपने विचार प्रकट करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। मेरे देश के अन्दर बहुत दिनों से गुड़, खांडसारी और चीनी एक मूल सवाल रहा है और हमारे देश के किसानों के लिए चीनी उद्योग एक बहुत बड़ी एग्री-बेस्ड इंडस्ट्री रही है। यही नहीं हिन्दुस्तान के किसानों के लिए यह उद्योग रीढ़ की हड्डी माना गया है। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य यह है कि

जिस देश में खेती का काम करने वाले किसानों में से करीब तीन करोड़ लोग गन्ना उद्योग में लगे हैं, जिस देश में करीब 27 लाख 71 हजार हेक्टेयर जमीन में गन्ने की खेती होती है उस देश में गन्ने की पैदावार करने वाले लोगों की हालत कितनी खराब है, उसके संबंध में मैं कुछ बातें सदन के सामने रखना चाहता हूँ। आज बाजार में लकड़ी 20 रु० क्विंटल के हिसाब से बिक रही है। 18 रु० क्विंटल के हिसाब से खोई बिक रही है और जो पशुओं के खाने के लिए चारा होता है वह 16 रु० क्विंटल बिक रहा है। इसके विपरीत गन्ने का दाम 10 रु० प्रति क्विंटल स्टेटयूचरी प्राइस तय है। किसान कितनी मेहनत से गन्ना पैदा करता है, इस पर भी थोड़ा विचार करने की जरूरत है। जेठ की चिलचिलाती धूपहरी में गन्ने के लिए 13 पानी देने पड़ते हैं। दिन रात कठोर परिश्रम करने के बाद नौ महीने के पश्चात् खरीफ और रबी की दो फसलों की जगह पर किसान गन्ने की एक फसल पैदा करता है। लेकिन इतना परिश्रम करने के बाद उसको गन्ने का क्या दाम मिलता है, इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने की जरूरत है। वर्तमान जनता पार्टी की सरकार किसानों के नाम पर सत्ता में आई और इन्होंने कहा कि कांग्रेस की हुकूमत में गांवों के अन्दर किसानों की हालत बहुत खराब हो गई और वे उजड़ गये। लेकिन इन लोगों की स्थिति यह है कि नाम तो ये किसानों का लेते हैं, लेकिन काम पूंजीपतियों का करते हैं। नाम तो गांवों का लेते हैं, लेकिन देश में मल्टी नेशनल कम्पनियों को बुलाते हैं। आज हालत यह है कि जनता पार्टी की सरकार पूंजीपतियों के नियंत्रण में आकर हिन्दुस्तान के किसानों का गला घोट रही है। आदरणीय उपसभापति महोदय, यह कैसी किसानों की हुकूमत है, इसका कुछ दिग्दर्शन मैं आपको कराना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश की सरकार ने चार अना प्रति क्विंटल के हिसाब

[श्री कल्पनाथ राय]

चुनाव लड़ने के लिए। इसी लिए गन्ना मिल मालिकों को 85 करोड़ रुपये की एक्साइज ड्यूटी माफ कर दी गई है। आदरणीय उपसभापति महोदय, गन्ना उद्योग उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार का मुख्य उद्योग रहा है। लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश जहां पर डेंसिटी आफ पापुलेशन हायस्ट है, जहां पर सिंचाई के साधनों का अभाव है, वहां पर चाहे गन्ने को बढ़ावा देने के लिए, नये बीज हों, चाहे सिंचाई की सुविधाएं, चाहे नयी टेक्नोलॉजी हो, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में या पूरे हिन्दुस्तान में जिस तरह की टेक्नोजीकल डवलपमेंट गन्ने उद्योग में होनी चाहिए वह सरकार ने नहीं की है। आदरणीय उपसभापति महोदय, नये बीजों और नयी टेक्नोलॉजी को अडाप्ट कर के मारीशस में, दक्षिणी अफ्रीका के राज्यों में गन्ने को एक नये उद्योग के रूप में विकसित किया गया है और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में मारीशस और दक्षिणी अफ्रीका की बड़ी कीमत है। आदरणीय उपसभापति महोदय, आज हिन्दुस्तान में टक्सटाइल इंडस्ट्री के बाद शगर इंडस्ट्री है जिसमें तीन करोड़ किसान लगे हुए हैं, जिसमें हिन्दुस्तान के करोड़ों लोगों को इम्प्लायमेंट मिला हुआ है, जिसमें देश के करोड़ों किसानों को रोजी रोटी मिलती है, जिसके माध्यम से हम हिन्दुस्तान की अर्थ व्यवस्था को मजबूत बना सकते हैं, उस इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए कोई खास कदम नहीं उठाया जा रहा है। आदरणीय उपसभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि जब तक हिन्दुस्तान में चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण नहीं होगा, जब तक चीनी मिल सरकारी क्षेत्र में नहीं ली जाएंगी, तब तक हमारे देश के अन्दर किसानों की हालत में सुधार नहीं किया जा सकता है। हिन्दुस्तान की अर्थ व्यवस्था की रीढ़ किसान है और किसान की माली हालत को सुधारने के लिए गन्ना उद्योग का राष्ट्रीयकरण करना

बड़ा आवश्यक हो गया है। आदरणीय उपसभापति महोदय मैं आपसे कहना चाहता हूं कि गन्ना मिल मालिक जो रिमर्च एंड डवलपमेंट के नाम पर करोड़ों रुपये सरकार से रियायत के रूप में लेते हैं, गन्ना उद्योग को विकसित करने के लिए, यह कोई काम नहीं करते हैं। जब से राष्ट्रीयकरण का नाम लिया गया तब से इन चीनी मिल मालिकों ने अपनी मिलों को रेनोवेट नहीं कराया है बल्कि उन्हीं मिलों में चीनी पैदा करते हैं और उस चीनी की अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत गिर गई है। या तो सरकार चीनी मिल का राष्ट्रीयकरण करे नहीं तो इन चीनी मिलों को रेनोवेट कराए या इन चीनी मिलों का माडर्नाइजेशन कराए ताकि उनकी रिकवरी पूरी हो सके और रिकवरी के माध्यम से चीनी पैदा हो सके जिसकी वजह से अन्तर्राष्ट्रीय बाजार के अन्दर हमारी चीनी की खपत की जा सके। आदरणीय उपसभापति महोदय, आज इस सरकार के अन्तर्गत किसानों की हालत बढ़ से बढ़तर होनी जा रही है और चीनी मिल-मालिकों को ज्यादा से ज्यादा सहयोग देने की सरकार नीति अपना रही है। और जो खांडसारी, उद्योग में, गुड उद्योग में किसान लगे हुए हैं, उनके गुड की, उनकी खांडसारी से पैदा होने वाली चीजों के दाम गिर गये हैं, उन पर से एक्साइज ड्यूटी भी कम नहीं की गयी है, इस प्रकार कुटीर उद्योग नष्ट हो रहे हैं परन्तु फिर भी चीनी मिल मालिकों को तरह-तरह की सुविधाएं देकर यह सरकार इस उद्योग को भी नष्ट करना चाहती है। इसलिए आदरणीय उपसभापति महोदय, मुझे आपसे निवेदन करना है कि आज चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया जाये और हमारे देश में चीनी उद्योग को इस ढंग से विकसित किया जाये ताकि इसके माध्यम से हम दुनियां के बाजार में हिन्दुस्तान को एक स्थान दिला सकें तथा 475 करोड़ की जगह 2 हजार, 3 हजार या 4 हजार का फारेन एक्सचेंज अर्न

कर सकें और इस फारेन एक्सचेंज से मुन्क की ताकत को औद्योगीकरण कर सकें। आदरणीय उपसभापति महोदय चीनी उद्योग को सुधारने के लिए भागव कमीशन की नियुक्ति की गयी थी। भागव कमीशन की रिपोर्ट सरकार के पास है पर भागव कमीशन की सिफारिशों को आज तक नहीं लागू किया गया। आदरणीय उपसभापति महोदय, किसानों की हालत को सुधारने के लिये जो भागव कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिशें लिखी हैं उन सिफारिशों को भी सरकार लागू नहीं कर रही है तो आदरणीय उपसभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि ग्रामीण व्यवस्था को सुधारने के नाम पर, किसानों की हालत को सुधारने के नाम पर यह जो जनता सरकार आयी है, यह जनता सरकार नाम तो जनता का लेती है परन्तु काम पूंजीपतियों का करती है, नाम तो ग्रामीण कुटीर उद्योगों का लेती है परन्तु सहूलियत मिल मालिकों को देती है। यह गजब की स्थिति देश की जनता के सामने है कि नाम जनता का और काम पूंजीपतियों का। इस बात को कैसे देश की जनता जान सकेगी? आज गांव के अन्दर एक भयंकर स्थिति पैदा हो गयी है। इस सरकार की साजिश से गन्ना मिल मालिकों ने एक महीने बाद अपनी मिलों को खोला जिसके कारण कि जिस लाखों और करोड़ों एकड़ भूमि पर हम गेहूँ की बोआई कर सकते थे वह नहीं कर पाये। आदरणीय उपसभापति महोदय, पिछली कांग्रेस सरकार ने यह एक नियम बनाया था कि गन्ना परचेसिंग सेंटर पर जिस दाम से गन्ना खरीदा जायगा, उसी दाम पर मिल के रेट भी खरीदा जायगा। परन्तु इस सरकार ने आते ही यह नियम बना दिया कि मिल के गेट पर जिस दाम से गन्ना खरीदा जायगा वह परचेसिंग सेंटर पर एक रुपया कम से लिया जायगा। पिछली कांग्रेस सरकार ने यह कानून बनाया था कि गन्ना परचेसिंग सेंटर पर भी किसानों को उतना ही देंगे जितना कि मिल के गेट पर किसान को मिलेगा ताकि गन्ने के रोजगार

में लगे हुए किसानों को गन्ना पैदा करने के लिये इन्सेंटिव मिल सके। परन्तु वर्तमान सरकार ने यह नियम बना दिया कि परचेसिंग सेंटर पर एक रुपया कम गन्ने का दाम दिया जायेगा जो कि मिल के गेट पर मिलेगा। इस प्रकार से हमारे गन्ना उद्योग के सामने एक भारी संकट उपस्थित हो गया है, किमान के मन में और गन्ना पैदा करने की भावना नहीं पैदा हो रही है और गन्ने का प्रोडक्शन पिछले वर्ष से घट रहा है। एक तरफ तो विदेशों के अन्दर हमारी चीनी की मांग बढ़ती जा रही है, हम करोड़ों रुपया फारेन एक्सचेंज पदा कर रहे हैं और दूसरी तरफ गन्ना बोने की, पैदा करने की भावना किसानों में घटती जा रही है। इसका कारण यह है कि रबी और खरीफ दोनों फसलों के स्थान पर हम एक गन्ने की फसल पैदा करते हैं लेकिन जब रबी और खरीफ दोनों की फसलों को छोड़कर गन्ने की फसल करेंगे और उसका भी उचित दाम नहीं मिलेगा तो फिर वह काम कौन करेगा? अतएव मैं चाहता हूँ कि गन्ने की पैदावार को बढ़ाने के लिए यह केन्द्रीय सरकार एग्रीकल्चर प्राईस कमीशन के अन्दर किसानों के प्रतिनिधि को जगह दे उत्तर प्रदेश की 67 चीनी मिलों और बिहार की 57 चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण किया जाय तथा देश के अन्दर कोआपरेटिव सेक्टर में चीनी मिलों को बढ़ावा देने का काम किया जाय। आदरणीय उपसभापति महोदय, उत्तर प्रदेश और बिहार में 125 चीनी की मिलें हैं लेकिन गन्ने पर रिसर्च करने के लिए कोयम्बटूर में एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है गन्ना पैदा करते हैं देवरिया, आजमगढ़, बस्ती, गोरखपुर, सहरसा, चंपारन के अन्दर और उसका रिसर्च इंस्टीट्यूट खूला हुआ है कोयम्बटूर के अन्दर। तो मेरा निवेदन है कि गन्ना के सीड को विकसित करने के लिए वह बिहार के अन्दर भी एक गन्ना रिसर्च इंस्टीट्यूट कायम करें, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी गन्ना रिसर्च इंस्टीट्यूट कायम करें और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी गन्ना रिसर्च

[श्री महादेव प्रसाद वर्मा]

है, चोट्टा भी खा जाता है उसके साथ ही वह मिल का लोहा और वह कारखाना भी खा जाता है । किसके भरोसे आप मिलों का राष्ट्रीयकरण करना चाहते हैं ? तो इसलिए जब आप राष्ट्रीयकरण की बात करें तो आप भूल जाइये चीन और रूस की मिसाल । वहां जो क्रान्ति हुई उसका समय एक रास्ता था । वहां यहां की तरह वोटों की क्रान्ति नहीं हुई । वहां जिस समय उनके हाथ में सत्ता आयी उस समय जहां उन्होंने पूंजीपतियों, जागीरदारों और राजे महाराजाओं को समाप्त किया उसके साथ ही उन्होंने वहां पुरानी नौकर शाही का भी सफाया कर दिया और एक नया एलीमेंट चाहे उसे तजुर्बा न रहा हो, लेकिन वह आये और एक मिशनरी जील लेकर बैठे । और उनसे गलतियां भले ही हुई हों, लेकिन उनसे देश के साथ बेईमानी नहीं हुई । आज जब राष्ट्रीयकरण की बात करते हैं तो किसके बल पर करते हैं ? कोई फोर्स है ? कोई रशियन रेवोल्यूशन है आप के पीछे ? कोई मिशनरी जील है ? कोई पावर मे है ऐसा जो उसको चला पायेगा । आप सरकारी नौकरों के हाथ से राष्ट्रीयकरण कराना चाहते हैं । उनसे देश चौपट हो जायेगा । क्योंकि हमने देखा है । बसों का राष्ट्रीकरण हुआ हमारे प्रदेश में । किराया बढ़ता गया । भ्रष्टाचार बढ़ता गया और उसके साथ ही जनता की तकलीफें बढ़ती गयीं । लाभ कुछ नहीं हुआ । उससे तो कहीं बेहतर है कि अगर प्राइवेट लोगों के हाथ में पूरे इंतजाम के साथ बसें दे दी गई होती और उन पर पूरा नियंत्रण रखा जाता । उससे मुसाफिरों को आराम मिलता और इतने किराये भी नहीं बढ़ते । तो पहली शर्त यह है कि राष्ट्रीयकरण की कि उसे आप किसके जरिये चलाना चाहता हैं । दूसरी चीज यह है कि अगर आप कसी चीज का, किसी उद्योग का राष्ट्रीय-

करण या सरकारीकरण करते हैं तो क्या आप इस बात के लिए तैयार हैं कि उसमें लगे हुये कर्मचारियों को, मजदूरों को हड़ताल करने का अधिकार नहीं होगा इस बात को आपको मान्य करना होगा । अगर ऐसा नहीं करते हैं तो राष्ट्रीयकरण सफल नहीं होगा । रूस में कोई हड़ताल कर सकता है ? चीन में कोई हड़ताल कर सकता है ? जब सरकार उस मुनाफे की जिम्मेदार है, जब राष्ट्र उस मुनाफे के लिए जिम्मेदार है, कोई प्राइवेट पूंजीपति नहीं तो यह अपने हिसाब से मजदूरों और कर्मचारियों को वेतन देगा । फिर हड़ताल का क्या सवाल ? आप इस बात के लिए तैयार हैं कि एक तरफ आप हड़ताल कराये मजदूरों से, दूसरी तरफ राष्ट्रीयकरण करें ? नतीजा यह होगा कि जो कुछ चल रहा है, जितनी राष्ट्रीयकृत संस्थाएँ हैं उनके हालात देखिये क्या हो रहे हैं । इसलिए जब आप राष्ट्रीयकरण की बात करें तो दो बातों पर ध्यान रख । कौन उसका नियंत्रण करेगा ?

कोआपरेटिव की बात लोग करते हैं । कोआपरेटिव से भी मिलें चलीं और उनका भट्टा बैठ गया । महाराष्ट्र में भी चलाई जाती थीं । कहा जाा था कि महाराष्ट्र में कोआपरेटिव मिलें बड़ी खूबी से चल रही हैं, लेकिन अब शायद एक दो मिलें ही चल रही हैं । यहां के कोआपरेटिव मूवमेंट का भी सरकारीकरण हो गया । सारी सरकारी मशीन उस पर बैठी हुई है । हालैण्ड और बेल्जियम का कोआपरेटिव मूवमेंट नहीं है यह । यहां का कोआपरेटिव मूवमेंट तो सरकार की तरफ से लाद दिया गया है । वह किसानों की तरफ से विकसित नहीं हुआ है । वह उसको चला नहीं पाता । वह चन्दा दे देता है, शेयर खरीद लेता है, लेकिन सारा इंतजाम सर-

कारी नौकर करता है। . . . (Interruption) एक लम्बी तस्वीर सरकार के सामने, देश के सामने जरूर है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं कानपुर आई० आई० टी० में गया। 10 यूनिवर्सिटियों का खर्चा उम पर होता है। कुछ मित्रों ने मुझे बुलाया, 10—20 लोग इकट्ठा हो गये और मैंने जब उनसे पूछा कि क्या कर रहे हैं इतना खर्चा हो रहा है इस संस्थान पर, तो उनके मुंह से एक सवाल निकला कि आप चाहते क्या हैं? हमसे आसमान के तारे तुड़वा रहे हैं, हम वही कर रहे हैं। मैंने सवाल किया कि क्या इन चीनी मिलों का डि-सेंट्रलाइजेशन कर सकते हो, चीनी के कारखानों को डिसेंट्रलाइज कर सकते हो, 5 लाख, 10 लाख या ढाई लाख के अन्दर चीनी की मिल दे सकते हो जिनको दस बीस किसान मिल कर चला सकें। मैं नहीं जानता कि दावे पर उन्होंने कहा कि सरकार आज कह दे तो हम तीन साल के अन्दर सारी टेक्नीक, सारा नौ-हाउ आपको दे देंगे। जहाँ आप एक लम्बे प्लान पर सारी चीज कर रहे हैं तो आप उसको क्यों नहीं कर सकते हैं। आपका आज का साइंस जब चन्द्रमा और मंगल तक मनुष्य को पहुँचा सकता है तो उस साइंस को धिक्कार है कि वह चीनी मिलों को डि-सेंट्रलाइज नहीं कर सकता। अगर चीनी मिलों को 10—15 आदमी मिलकर न चला सकें, अगर उसकी इंडस्ट्री को डि-सेंट्रलाइज नहीं कर सके तो उसका मतलब क्या होना चाहिये? तो हमारे दिल में यह विचार होना चाहिये कि कौन सा साइंस कौन सा रास्ता, कौन सी टेक्नीक खोजी जाए जिससे हम भारत में मिल मालिकों को हटाकर छोटे पैमाने पर लाखों लोगों को उसमें लगा सकें और उनको रोजी दे सकें, रोटी दे सकें और प्रोडक्शन भी दे सकें। इन सारे सवालों को हम हल कर सकें यह आ के युग की मांग है। वर्तमान

युग की मांग यही है। आप इससे कभी बरी नहीं हो सकते। यहाँ अगर पूंजी-पतियों का और उद्योगपतियों का अमरीका और इंग्लैंड की तरह से दबदबा होगा तो यहाँ तानाशाही आयेगी चाहे सर्वहारा के नाम पर आये, चाहे नाजीवाद के नाम पर आये, चाहे फासिस्टवाद के नाम पर आये। आप दोनों, जनतंत्र और केन्द्रित व्यवस्था को साथ साथ नहीं चला सकते हैं। इसलिए उस तरफ ध्यान देना जरूरी है। मैं माननीय अग्रिकल्चर मिनिस्टर से यह रिक्वेस्ट करूंगा कि जहाँ और चीजें हो रही हैं वहाँ आप इस तरफ भी हमारे वैज्ञानिकों को, टेक्नालाजिस्टों को ऋजु कर दीजिए कि आप तीन साल के अन्दर, हम तीन साल आपको दे देंगे, आप तीन साल के अन्दर हमें यह तकनीक पूरी दे सकेंगे कि नहीं। यहाँ पर बड़े बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट पर, साइंस पर हम करोड़ों रुपया खर्चा कर रहे हैं, लेकिन आज तक इस ओर कोई काम नहीं हुआ।

अब रहा आज की परिस्थिति के बारे में। एक दिक्कत है जैसे अभी कुछ लोगों ने बताया। चीनी अगर सस्ती की गई तो गन्ना मिल नहीं चल पायेंगे। अगर गन्ने का दाम नहीं मिलेगा तो गन्ने का प्रोडक्शन खत्म हो जाएगा चीनी मंहगी हुई तो खपत कम होगी और खपत कम हुई तो सरप्लस बढ़ेगा। ये सारे सवाल हैं। दूसरी चीज यह है कि सरकार की ओर से पांच सात साल से दो वर्ग के लोगों को चीनी मिल रही है, शहर वालों को कार्ड पर चीनी उसके यूनिट्स के हिसाब से सबको दो किलो, तीन किलो या डेढ़ किलो मिलती है और गांवों में परिवार के हिसाब से आधा किलो चीनी मिलती है।

कहा जाता है कि गांव वालों को भी चीनी दी जाती है, लेकिन वास्तव में गांव

[श्री महादेव प्रमाद सिंह]

वालों को चीनी नहीं मिलती है। उनको तो भ्रष्टाचार मिलता है। गांधी जी ने एक बार कहा था कि शायद हमको एक वक्त भूखों रहना पड़े। लेकिन भ्रष्टाचार न बढ़े। आज हमारे देश में भ्रष्टाचार की यह हालत हो गई है कि जितने भी सरकारी विभाग हैं उनमें भ्रष्टाचार व्याप्त है। अगर यह भ्रष्टाचार इसी प्रकार से चलता रहा तो यह सारे देश की पद्धति को ही बदल कर समाप्त कर देगा। इसलिए यह कहना कि आधी से भी अधिक चीनी गांवों में भेज दी जाती है, गलत बात है। आप गांव वालों के साथ इस प्रकार की बेईमानी क्यों करते हैं? गांवों के अन्दर अगर किसी आदमी को शादी-ब्याह के लिए चीनी खरीदनी होती है तो उसको 5) २० या 6) २० किलो चीनी बाजार से खरीदनी पड़ती है। ऐसी हालत में यह कहना कि 65 फीसदी चीनी गांवों को दी जाती है, नितान्त भ्रामक है। आप शहरों के अन्दर जो बड़े बड़े कोठी वाले लोग हैं उनको 2.15 २० प्रति किलो के हिसाब से चीनी देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि इन लोगों को इतनी सस्ती कीमत पर चीनी देने की क्या जरूरत है। जिस प्रकार से किसान बाजार से चीनी खरीदता है उसी प्रकार से ये लोग भी चीनी खरीद सकते हैं। लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि हुकूमत बनती तो गांवों की मदद से है, लेकिन रंग शहरों का होता है। एक पैसा भी अगर चीनी का दाम बढ़ा दिया जाता है तो पालियामेंट के सामने एक आन्दोलन खड़ा कर दिया जाता है। आज हमारे सोचने का ढंग बड़ा विचित्र हो गया है। कोई भी कारखाना चलाने में पहली चीज पूँजीपति का मुनाफा देखा जाता है। उसके बाद उसमें जो काम करने वाले कर्मचारी होते हैं उनकी सुख-सुविधाएं देखी जाती हैं। सब लोगों की सुख-सुविधाओं का ध्यान

रखने के बाद जो कुछ बचता है उसको किसान के ऊपर फेंक दिया जाता है। यही हालत आज हमारे चीनी उद्योग की भी हो गई है। किसानों की हालत के बारे में बहुत कम सोचा जाता है। जब तक हमारे सोचने का तरीका नहीं बदलता तब तक किसानों का भला नहीं हो सकता है। आज हमारे देश में हालत यह है कि समाज के बाकी सब लोग अपनी अपनी मांगों के लिए आन्दोलन कर सकते हैं, लेकिन बेचारा किसान कोई आन्दोलन नहीं कर सकता है। अगर कोई कारखाना बन्द होता है और उसमें हड़ताल हो जाती है तो मजदूरों को उनकी तनख्वाह मिलती रहती है। रेलवे के अन्दर अगर हड़ताल होती है तो रेलवे कर्मचारियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनको उनकी तनख्वाह मिलती रहती है। लेकिन किसान अपनी मांगों के लिए कोई हड़ताल नहीं कर सकता है। वह अपनी इस समस्या को कैसे हल करे, यह उसके सामने एक विचारणीय प्रश्न है। हर स्तर पर उससे नाजायज फायदा उठाने की कोशिश की जाती है। पिछले 30 सालों में यही हुआ और आज की गवर्नमेंट भी यही करने की कोशिश कर रही है। सारी चीजें सरकारी लोगों को सन्तुष्ट करने के लिए की जाती हैं। सब लोग किसानों को लूटने की कोशिश करते हैं। इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि इस पद्धति में आमूल-चूल परिवर्तन किया जाय।

हमारे देश में बार बार चीनी की खपत की बात कही जाती है और यह कहा जाता है कि विदेशों में हमारी चीनी की खपत कम होती जा रही है क्योंकि यह महंगी पड़ती है। मैं कहता हूं कि आप शहर वालों को ही चीनी क्यों देते हैं और आपका ध्यान केवल मात्र बाबुओं को ही सुख-सुविधाएँ पहुंचाने की तरफ क्यों रहता है? जिस प्रकार से गांव के किसान गुड़ का उपयोग करता है, उसी

प्रकार से शहरों के बाबू और अन्य लोग भी उसका उपयोग कर सकते हैं। इस देश में आज स्थिति यह हो गई है कि माननीय मंत्री जी ने जो आंकड़े दिये हैं उनको देखने से पता लगता है कि उनको 215 रु० प्रति क्विंटल उत्पादन खर्च का देना पड़ता है। मेरा कहना यह है कि इसमें कुछ चीजें जरूरत से ज्यादा दी गई हैं। इनको 150 रु० पर 10 रु० प्रति क्विंटल गन्ने पर एक क्विंटल चीनी बनेगी। मेरा कहना यह है कि गन्ना सेस 13 रु० के बजाय 10 रु० हो सकता है और जो उत्पादन सेस 53 रु० है वह 43 रु० किया जा सकता है। मुनाफा 15 के बजाय 12 किया जा सकता है, इसमें तमाम जोड़कर इन लोगों ने दिया है। तो दाम 215 पर आता है, 215 रुपया उत्पादन व्यय होता है, इस 215 रुपए उत्पादन व्यय पर क्यों चीनी खुले बाजार में 3.75 रुपये पर नहीं बेची जा सकती। इसमें क्या द्विविधा है? पौने तीन पर बिकने दीजिए। मिल वालों को नुकसान नहीं होगा, वर्तमान परिस्थिति में। सस्ती चीनी भी लोगों को मिलेगी और गन्ने के दाम भी 15 रुपये प्रति क्विंटल किसान को मिल जायेगा। आज की वर्तमान स्थिति में इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। जब तक कोई बड़ी स्कीम नहीं लागू करते हैं, जब तक कोई दूसरा रास्ता नहीं निकालते हैं, तब तक इस समय की परिस्थिति में आप इसे खुले में पौने तीन रुपए की दर से लोगों को आम दिलवाइये। यही एक मात्र रास्ता है। 215 रुपये जो उसका उत्पादन व्यय है, वह निकल जाएगा और सारा मसला हल हो सकता है और किसान को 15 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने का मिल सकता है।

एक सवाल और है। 40 फीसदी गन्ना गुड़ में चला जाता है, 33 प्रतिशत गन्ना चीनी में, 6 प्रतिशत खांडसारी की

तरफ और बाकी बीज तथा चूसने व बेस्टेज में चला जाता है। खांडसारी को, जैसा कि आप कह रहे हैं, मैं नहीं मानता कि यह ग्रामीण उद्योग है। यह भी बड़े बड़े मिल-मालिकों की चीज है। कहीं कहीं बड़े बड़े कारखाने बना रहे हैं, कहीं छोटे छोटे बना रहे हैं। दूसरी चीज, अभी अभी मिलों में खुलने में देर हुई तो 6 रुपए क्विंटल तक इन खांडसारी वालों ने गन्ना किसानों में खरीदा, उनकी मजबूरी का उन्होंने फायदा उठाया। मैं कहता हूँ कि खांडसारी जिस भी रूप में चलती है, चलाइये लेकिन खांडसारी के लिए किसानों की हत्या नहीं होनी चाहिए, खांडसारी के लिए उपभोक्ताओं की हत्या नहीं होनी चाहिये, खांडसारी वाले गुड़ और चीनी में मुकाबला कर पाते हैं या नहीं यह हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य यह होना चाहिये कि किसान को उचित दाम मिले और सस्ती चीनी उपभोक्ताओं को मिले। यह लक्ष्य तभी हो सकते हैं यदि आप पौने तीन रुपए किलो में आम चीनी बिकवा सकें और 15 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने के दाम किसानों को दिलवा सकें। मैं मंत्री जी से यह कहना चाहता हूँ कि इस सवाल के पक्ष में जो बात कह रहा हूँ, वह कोई हवा की बात नहीं कर रहा हूँ और मुझे आशा है कि जनता सरकार इस पर जोर देगी।

श्री रणबीर सिंह (हरियाणा) :
उपसभाध्यक्ष जी, मीठा जो है वह गन्ने के वगैर नहीं पैदा हो सकता और गन्ना सिंचाई के वगैर पैदा नहीं हो सकता और सिंचाई जो है वह मंहगी होती जाती है। क्योंकि आज ही नहीं, पहले से ही सरकार की नीति ऐसी है जो उपभोक्ताओं को फायदा पहुंचाती है, क्योंकि उसको बनाने वाले आमतौर पर उपभोक्ता हैं और पैदा करने वाले कृषक की कोई बात उसमें मानी नहीं जाती। जनता पार्टी के नेतागण बहुत पहले ही और

[श्री रणवीर सिंह]

मंत्री जी भी इस बात को सदन में भी और बाहर भी कहा करते थे। मैं मानता हूँ कि आज भी उनकी धारणा इस बारे में वही होगी। धारणा तो उनकी नहीं बदली होगी लेकिन सरकार का चक्रव्यूह जो है, उसमें आदमी फँसकर कई दफा अपनी धारणा को न भूलकर भी भूल जाता, जैसा हो जाता है। तो उपसभाध्यक्ष जी, अमेरिका में बहुत बड़े पैसے वालों का जोर-दाव है, वहाँ सिंचाई के ऊपर जितना पैसा, जितना रुपया लगाया जाता है, कैपिटल लगाया जाता है, उसके ऊपर ब्याज नहीं होता। यहाँ सरकार सिंचाई के साधन जुटाती है और उसके ऊपर ब्याज लगाती है। तो इसका नतीजा यह है कि कोई भी सिंचाई की योजना प्लानिंग कमीशन के हिसाब से फायदे की नहीं है और घाटे की देश की तरक्की के हिसाब से फायदे की मानी जा सकती है। यह तथ्य जो है, वह जो ब्रह्मानन्द रेड्डी कमीशन, फाइनंस कमीशन, वित्तीय कमीशन जो था, उसने साफ़ तौर से कहा कि हिन्दुस्तान के अन्दर सिंचाई योजना से है, वह फायदे की नहीं रही घाटे की योजनायें हैं। वह किस किस के लिये फायदे की चीज नहीं रही? जिनके लिये चलाते रहे या आफिसरों के फायदे के लिये नहीं रही? तो यह बहुत बड़ी सोच की बात है। चूँकि अगर सिंचाई की योजना न होगी तो हिन्दुस्तान के लोगों की न भूख को रोका जा सकता है और लोगों को चीनी का इस्तेमाल करने से रोक सकते हैं। तो इसके लिये बाहर से चीनी मंगानी पड़ती, अनाज मंगाना पड़ता और मंगाना पड़ा। उसका नतीजा क्या हो रहा है? हिन्दुस्तान का उसमें विदेशी मुद्रा का खर्चा 7 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा है जो खेती की पैदावार को बाहर से मंगाने पर खर्च किया गया है। अगर खेती की पैदावार बढ़ जाती तो हमारा इतना कर्जा न होता। सात हजार करोड़ रुपये का सामान हम बाहर

भज कर हम विदेशी मुद्रा कमा सकते थे और जमा कर सकते थे जिसको कि यंत्रों के लिए हम प्रयोग कर सकते थे और खेती की तरक्की कर सकते थे। तो इस संबंध में सब से पहला मेरा निवेदन यह है कि मंत्री जी सिंचाई मंत्री भी हैं, कृषि मंत्री भी हैं, अगर आप यह कर दें कि सिंचाई के ऊपर जो रुपया लगेगा चाहे नहरों के ऊपर लगे, चाहे डैम के ऊपर लगे, उसके ऊपर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। जो बड़ी बड़ी योजनाएं बनती हैं बजाय इसके कि उस खर्च को वापिस लेने की बात हो, और कागजों में जो हेरा-फेरी चलती है, उसकी बात हो, इतना रुपये इस प्रदेश की सरकार को दे दिया, उसका रीपेमेंट नहीं करना होगा तो यह हिसाब जो कागजों में जमा-तक्सीम होती रहती है, तरीके को समाप्त कर देना चाहिए। भाखड़ा डैम बना है तो रिजर्व बैंक को कहें कि 140 करोड़ रुपये के नोट छाप दें, न कर्ज लेना है, न ब्याज देना है—तो सारा धन जो सिंचाई की योजनाएं फायदे की हो सकती हैं, उनमें लगना चाहिए, लेकिन उस पर कोई ब्याज नहीं वसूल करना चाहिए। अब आप यह देखें कि अगर भाखड़ा की योजना न बनती जिसको कि हमारे वित्तीय विशेषज्ञ घाटे की योजना कहते हैं तो हिन्दुस्तान में पता नहीं कितने लोग भूख से मर जाते या पता नहीं क्या उनका होता या भिखारी बन जाते। आज हिन्दुस्तान के अन्दर कुछ सुबों में पैदावार नहीं है, जो अनाज दिया जाता है, चाहे गेहूँ हो, चाहे चावल हो, वह 75% करीब पंजाब और हरियाणा देता है। वह सिर्फ इसलिए कि वहाँ पर सिंचाई की योजनाएं सस्ते वक्त में बन सकी। आज आप किसान से ट्यूबवेल के लिए 18% सूद लें और फिर आप समझें कि सस्ता गन्ना पैदा होगा, यह कैसे हो सकता है? इससे बड़ी भूल आपकी और कोई नहीं हो सकती। चाहे किसान को सिंचाई के लिए पैसा दिया जाए, चाहे सरकारों को सिंचाई के लिए

पैसा दिया जाए, उसके ऊपर कोई सूद नहीं होना चाहिए और प्रदेश सरकारों के कर्जों की वापसी का कोई सवाल नहीं होना चाहिए। उसके मुताबिक और जितनी सिक्कुरिटी है, गड़बड़ी हो सकती है चोरी हो सकती है, कोई सिक्कुरिटी के कागजों में हेरा-फेरी कर सकता है, झूठ सच करके छपवा सकता है लेकिन जहां तक सिचाई योजनाओं का संबंध है इसमें कोई चोरी नहीं कर सकता। प्रताप सिंह कैरो ने भाखड़ा डैम बनवाया था, वे चले गए उसके बाद आने वाले मुख्य मंत्री थे वे भी कोई उसको जेब में नहीं ले गए। नहरेँ रद्दगी। तो मेरा कहना यह है कि इनके खर्चों को सामने रख कर नोट छपवाएं मैं ऐसा मानता हूं। परन्तु सरकार के जो वित्तीय विशेषज्ञ हैं वे इस बात का ज़रूर बुरा मानेंगे। मैं यह कहता हूं कि जब तक यह नहीं होगा तब तक चाहे जनता पार्टी रहे या कांग्रेस पार्टी हो, सही इलाज नहीं हो सकता।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह है बिजली के बारे में। बिजली मंहगी हो गई है, नहरों का पानी मंहगा हो गया है, गन्ना कौन सस्ता देगा? ट्रेक्टर के ऊपर 33-37% सरकारी कर हैं और हम से कहा जाता है, पढ़े लिखे जो वित्तीय विशेषज्ञ हैं, वे कहते हैं कि किसानों के ऊपर टैक्स बहुत कम है। इससे बढ़ कर और झूठ क्या हो सकता है? हिन्दुस्तान के अन्दर 10 हजार रुपये साल की जिनकी आमदनी होती है उनको टैक्स नहीं लगता है। किसान को अगर एक हजार रुपये का घाटा है तो भी उसको लैंड रेवेन्यू देना होगा, उसको टैक्स देना होगा, पानी का खर्चा देना होगा। तो अगर जनता पार्टी विकेन्द्रीकरण की बात करती है, देहातों की और किसानों की बात करती है, अगर वह नीतियों में तबदीली नहीं कर सकती तो मैं समझता हूं कि उसी रास्ते पर आप भी चले जाएंगे जिस रास्ते पर हम चले गए। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आपकी

सरकार इसके बारे में बड़ी गम्भीरता से विचार करे। क्या कोई स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आज ब्याज का खर्चा दे सकता है? और अगर बिजली न हो तो इस देश का क्या होगा, यह देश किस तरफ जायेगा, कौन हमारा मालिक होगा? तो ब्याज की खातिर मैं कहता हूं कि बनिया भी दो हजार का कर्ज एक कटिया लेकर माफ कर देता है लेकिन आपकी सरकार, मेरा मत नव आपसे नहीं है—मैं कहता हूं कि यह सिस्टम जिसको हम माने हुए हैं, जिसको समाजवादी ढांचे की सरकार आप मानते हैं, मैं भी मानता हूं, यह ब्याज की हेरा फेरी है, ब्याज आद हो नहीं मिल सकता। बिजली के जो पैदा करने के यंत्र हैं वह हम विदेशों में भजते हैं इसलिए कि स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड उनको ले नहीं सकता और क्यों नहीं ले सकता क्योंकि पैसा नहीं है, पैसा क्यों नहीं है क्योंकि ब्याज नहीं दे सकता। तो ब्याज का यह जो बनि-यापन है, यह सोच देश को बदलनी चाहिए।

उपसभाध्यक्ष जी, इसके बाद मिठाई की बात है, गुड़ की बात है। जहां और समस्याएं हैं एक गुड़ की सबसे बड़ी समस्या है कि उसके लिए जब बरसात आने को होती है तो गुड़ जो कि एक बहुत अच्छी चीज है, मीठा खाने की चीज है जिसके अंदर ग्लूकोस चीनी से ज्यादा होता है जो थकावट दूर करता है, वह पानी बनकर बह जाता है और मकान को भी खराब कर देता है। यह चीज घाटे की बनती है अतः इसके लिए कोल्ड स्टोरेज बनाये जाने चाहिए। 2-2, 4-4, गांवों के बीच में एक सिलसिला है कि देश के लोग जो गुड़ खाया करते थे वे गुड़ खाते रहेंगे और उसका इस्तेमाल हो सकेगा।

इसके बाद गुड़ से चीनी भी बन सकती है तो उसमें कभी प्रिंसीपल साहब जिक्र करते थे खांडसारी का, उन्होंने कहा कि किसानों

[श्री रणवीर सिंह]

के हिन्ने की रक्षा होनी चाहिए चूंकि खांडसारी को कारखानों ने 5 रु० और 6 रु० क्विंटल तक गन्ना लिया है। मैं उनसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि खांडसारी जैसा उन्होंने एक बात कह दी फिर दूसरी बात कह दी, ऐसे छोटे खांडसारी के जो यूनिट है जो किसान अपने खेत के लिए अपने गन्ने के लिए लगाता है उसके ऊपर कोई उत्पादन शुल्क नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर उत्पादन शुल्क माफ होना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई 5-10 काश्तकार या किसान मिलकर कोई छोटा सा यूनिट लगाते हैं तो उसके ऊपर भी शुल्क माफ होना चाहिए। गांव वाले अगर सल्फर का भी कोई यूनिट मिलकर लगाते हैं तो उसके ऊपर भी एक्साईज ड्यूटी की माफी होनी चाहिए। अब क्यों माफी होनी चाहिए क्योंकि इसमें देश का फायदा है और देश का फायदा कैसे है। उपसभाध्यक्ष जी, गन्ने का उत्पादक वेवकूफ नहीं है चाहे आप मानें या न मानें। वह 6 रु० क्विंटल क्यों बेचता है, प्रिंसीपल साहब वह इसलिए बेचता है कि खेत खाली करके वह गेहूं बोना चाहता है। अगर वह गन्ना जून तक खड़ा रहे तो अगली जो पेड़ी होगी उसमें सौ मन गन्ना एक एकड़ में कम हो जाता है। अतः इससे देश को भी घाटा है और किसान को भी घाटा है। इसलिए हिन्दुस्तान के किसान की एक सोच रहती है, मैं उत्तर भारत की बात करता हूं। दक्षिण भारत का मुझे इल्म नहीं है—उत्तर भारत में 30 मार्च से पहले गन्ने को किसान फेंक देना चाहते हैं क्योंकि अप्रैल में एक तरफ तो गेहूं की कटाई शुरू होती है और दूसरी तरफ गन्ना गर्मी में सूखता है अर्थात् गन्ने से चीनी या गुड़ कम बनता है। तो हमारे देश के अंदर मीठा ज्यादा पैदा हो उसके लिए हमारी योजना ऐसी होनी चाहिए कि, उत्तर भारत में जहां अप्रैल में गन्ने में चीनी भी कम होती है, ग्लूकोस भी कम होता है, वजन भी कम

हो जाता है अर्थात् किसान को घाटा होता है, 30-31 मार्च तक सारा गन्ना खत्म हो जाय। इससे जो पेड़ी आयेगी उस पेड़ी में कम से कम सौ मन गन्ना फी एकड़ में सिर्फ इसलिए ज्यादा पैदा होगा क्योंकि उस पेड़ों का गन्ना वक्ता पर कटा गया। तो इसके लिए आप उत्पादन शुल्क कम लगाएं।

अभी प्रिंसीपल साहब से मैंने एक कागज लिया, उसमें जो उन्होंने जिक्र किया उसमें शायद जाहिर होता है मंत्री महोदय, कि मंत्रालय से उन को कुछ मालूम हो। हम जो चीनी खाते हैं और जो भाई कहते हैं कि किसान जो है उसने ऐसी लूट की कि मोटा हो गया, किसान तो साहूकार बन गया। क्या चीनी खाने वालों को यह मालूम है कि चीनी में फी क्विंटल में उस को कितना फी सदी पैसा मिला—गन्ने वाले को? अगर उत्पादन शुल्क वगैरह सब लगाया जाए तो जितनी चीनी बिकती है उस में से 49 परसेन्ट लागत का गन्ने वाले को मिला 1974-75 में और 1975-76 में गंहगाई हो गई—गंहगाई बढ़ती जा रही है—वह 48 परसेन्ट मिलमिला कर 1976-77 में 50 परसेन्ट लगा। अभी मेरे दोस्त कल्पनाथ जी को इस बात का बड़ा गिला था कि उत्पादन शुल्क माफ कर दिया गया। उत्पादन शुल्क माफ कर के गन्ना उत्पादकों तक उसका फायदा नहीं पहुंचने दिया जाता तो वह मिल मालिकों के हक में है और गन्ना अगर उत्पादन शुल्क माफ कर के गन्ना उत्पादकों के मूल्य बढ़ाने के साधन बनाए जाते तो मैं कहता चीनी का उत्पादन शुल्क कतई माफ करना चाहिए। लेकिन यह चीनी के उत्पादन शुल्क ने एक तरफ किसान को और दूसरी तरफ उपभोक्ता को नार खड़ा है और रोजाना गंहगाई बढ़ती जाती है। नौकरियों में भी अफसरों और मुलाजिमों की तनख्वाह बढ़ती जाती है और असल में उन को कम मिलता जाता है। तो यह जो आंकड़ों की लड़ाई है इस लड़ाई से हम को निकलना चाहिए। वह

उत्पादन शुल्क के वहाने हम हजारों करोड़ों रुपए इकट्ठा करते हैं यह कोई अच्छी बात नहीं है। किमान ज्यादा गन्ना कैसे पैदा करेगा? देश के अंदर ज्यादा नीटा होगा तो भाव भी सस्ता होगा।

एक दूसरी बात, जैसा प्रिंसीपल साहब ने जिक्र किया, कि अजीब हालत है हमारी इस गन्ने की नीति की—आज की नहीं है, पहले से यह चला आता है—आज भी वही चलता है। कागजी दुनिया में हम रह रहे हैं। ये कहते हैं 8 रु० 70-75 पैसा या 37 पैसा गन्ने का फी क्विण्टल मूल्य है। बताओ कोई किसान इस मूल्य पर किसी कारखाने को गन्ना देता हो? क्या कहीं दिया जाता है? कहीं 12 रु० है कहीं 13 रु० है कहीं 10 रु० है। तो काहे हम कीमत लगाए बैठे हैं कि 8 रु० 37 पैसे क्विण्टल होगा कि 8 रु० 70 पैसे का होगा। जो असल है वह कागज में रखा रहे उसको कोई दे नहीं। उस भाव पर न कोई गन्ना देने वाला गन्ना देता है, न गन्ने के कारखाने को उस भाव पर गन्ना मिलता है। दूसरी तरफ चीनी के दो मूल्य काहे को रखे हैं, मिटाइए इस भेद को....

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : आप लोगों ने ज़िद की थी।

श्री रणबीर सिंह : मैंने यह इन्कार नहीं किया है। मैंने तो कहा, आज जो नीति है वह पिछले 30 साल की चलती चली आई है। लेकिन यह जनता पार्टी क्रांति किस चीज़ को कहती है? मैं तो यह कहता हूँ कि आपने तो बहुत कहा है, कि हमने क्रांति कर दी है। तो कुछ विकेंद्रीकरण करें, कुछ क्रांति करें आर्थिक दुनिया में। हमारी गलतियों से सबक सीखें—हमने गलती की तो उसका मुआवजा ख़ाया आपने। तो मुआवजा लेना है तो (*Time bell rings*) चखो। अगर वह मुआवजा लेने का इरादा नहीं है

तो उसको सहा करो। ऐसा कहना कि हमने गलती किया है, और उस नीति को नहीं बदलेंगे, यह समझ की बात नहीं है। मैं मानता हूँ कि हमारे कृषि मंत्री के दिल में जोश मेरे से ज्यादा है और जैसा मैंने कहा कि सरकार के चक्कर में वह फंस कर के ऐसी बात कह गए जो पहले कभी नहीं कर सकते थे। तो आपसे मैं एक ही बात कहता हूँ कि आप ठीक न कर सकें—क्योंकि यह योजना आयोग है, या वित्त मंत्रालय है या जो उपभोक्ता हैं जिसके ये सभी भाई समर्थक हैं उनके दबाव का मुकाबला आप नहीं कर सकें—तो कम से कम एक बात जरूर कीजिए। कभी इस बात की तार्दीन कीजिए कि क्योंकि हम करते आये थे। अगर हमारी बात को पहले आप बुरा कहते थे तो आज उस को अच्छा मानने की ओर इशारा मत कीजिए नहीं तो लोगों ने आप से जो आशा बनायी थी वह टूट जायगी। तो आप की भाषा वही होनी चाहिए कि जो उस समय थी जब आप मंत्री नहीं बने थे। उसी को चलाने में जितनी शक्ति आप को लग सकती है आप लगाइये। मुझे खुशी है कि मंत्री जी ने हम सब को मौका दिया कि हम प्रस्ताव पास करें कि कृषि के औजारों पर उत्पादन शुल्क न रहे, घटा दिया जाय और उस पर जनता पार्टी की छाप लगी लेकिन कहीं ऐसा न हो कि वह प्रस्ताव प्रस्ताव ही रह जाय और उसको कार्यान्वित करने वाला कोई दूसरा वहां आये। आप ही उसको कार्यान्वित कीजिए। अगर आप इस साढ़े चार सौ करोड़ को एक ही साल में खत्म कर दें तो हिन्दुस्तान में कोई गड़बड़ नहीं होने वाली है। अगर साढ़े सात सौ करोड़ रुपया डेफिसिट में आया तो साढ़े तीन सौ करोड़ के नोट और रिजर्व बैंक से छपवा दीजिए। इससे कोई ज्यादा गड़बड़ी नहीं होने वाली है। जो भाई कागज के आंकड़ों के ढेर फेर से सरकार चलाते हैं यह उन की कहानी है, लेकिन असल में अगर देश तरक्की कर सकता है तो वह ज्यादा उत्पादन कर के ही कर सकता है।

[श्री रणबीर सिंह]

उत्पादन बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। उसी से देश की नींव मजबूत होगी। उस से ही किसान और मजदूर खुश होंगे। शीकी आंकड़ों से कुछ नहीं होने वाला है। अगर हम इससे चलेंगे कि ऐसा करने से सरकारों मुलाजिमों का अंक बढ़ जायगा या इंडेक्स की फीगर बढ़ जायगी और अगर इस दबाव में आप आकर कोई निणय नहीं लेंगे तो इस दबाव में ही इधर आकर बैठे हैं, आप के ऐसा करने से आप भी इधर ही आकर बैठ जायेंगे। मैं इस लिये इतना ही निवेदन करूंगा कि आप हौसला रखें और जो आप कहते थे उस को करने की, क्रियावित्र करने की कोशिश करें वरना जसा कि कल्पनाश जी ने कहा, गाड़ी चलने वाली नहीं है, और लोग यह मानेंगे कि आप ने साइकारों के दबाव में आकर उत्पादन शुल्क माफ कर दिया और खंडसारी का नहीं किया। इसलिये मैं चाहता हूँ कि आप खंडसारी का उत्पादन शुल्क बिलकुल माफ कर दीजिए।

SHRI SUJAN SINGH (Haryana): Sir, this debate on farmers versus sugar mills initiated today by Mr. Sinha and supported by his friends, is really a much-needed debate. At this time the farmers are busy in supplying cane to the mill-owners and the mill-owners are busy in getting the cane. Therefore, it is really nice of him that this opportunity has been provided so that we are in a position to tell the Government and the Members as to what is happening.

Sir, the present position of farmers in general, the grain farmers, the vegetable farmers or the sugar-cane farmers is really deplorable. No man on this earth can be more miserable than the farmer. The farmer who works 24 hours under the sweltering heat of the sun under the risk of snake bite at night is the most ignored person. The problem of the farmer that we are discussing about today is not the result of the maladministration

by the Janata Party. It is the result of the previous Government which ruled this country for thirty years and which ignored the farmer altogether. Now the problems are before the present Janata Government. But we realise that this government has come only 7 to 8 months ago. They have inherited all the problems of the farmers. And I know my hon'ble friend, the Minister of Agriculture, is more worried about the farmer than we are. He himself is a farmer. Choudhury Charan Singh, the most respected leader of the kisans, is in the Ministry under which the Government is running. We expect and hope much from them and we are confident that they will deliver the goods definitely and the interests of kisans are safe in their hands.

Now I shall proceed to the problems of the farmers at present. Some problems are such that they do not cost the Government anything; simply their attention is sufficient and the farmers can be benefited without doubt.

First of all, with regard to price, as my other esteemed friends have said, there should be a uniform price. Most of my colleagues have raised this point. We are all unanimous on this point. Therefore, I can conclude that it is a genuine problem of the farmers. This is a point being repeated by most of us. I realise that ours is a vast country, and in such a vast country uniformity of price may not be possible though it is not impossible. If it is not possible, it is because the cost of production, the yield of cane and other conditions vary from area to area. But if it is possible for the Government to divide the country into four zones and fix the price for each zone, allowing the States to cover the little variation that may be there, this can be tried. Regarding fixation of price, I know personally the conditions when the State Government go to fix the price. In the fixation of price of sugarcane there is a lot of politics, a lot of corruption and a lot of money-making in which the previous Govern-

ment was indulging in and I hope our present Government will not fall prey to it. While fixing the price of molasses—which is a by-product and which is thought to be a very ordinary thing—politics come in and it is known as “politics of molasses” because of politics of the State are run with the fixation of the price of molasses. If the price of molasses is fixed a few annas this way or that, it makes some lakhs of rupees for the factory owner and he makes a contribution to the party in power or the Government. Therefore, while fixing the prices the Government should be very careful and see that the industry does not get the price of molasses raised and the price of cane reduced a few annas this way or that so that some contribution comes out of the profit thihs earned for politics or as bribe, as the previous Government was doing.

Regarding arrears, there is no doubt that the problem of arrears is always there. In 1976-77, Rs. 13.5 crores was in arrears. For the previous year to this Rs. 1.5 crores was still in arrears. The problem of arrears causes a great hardship to the farmers who, after producing cane, cannot get their money at a proper time. So, the Government should make legislation as suggested by my hon. friends or, if it is not possible, the rate of interest on that money should not be less than 25 per cent because the farmer himself gets loan at 18 per cent interest. Therefore, if it is not possible to pass any legislation to compel the sugar factory owners to make payment at a suitable time, the rate of interest should be made very high.

4 P.M.

Then I come to the malpractices in the factories. The first malpractice is that they weigh less. This is a practice very much prevalent. The weighing machines are purposely kept like that. The farmers come in a hurry and deliver their goods and go back. It is an intrigue indulged in by the factory-owners with the help of the staff of the factory. The simple farmers are

not interested in looking into under-weighment. Then the government inspectors are also with factory owners. They get money from them every month. So the farmers are cheated at the gates of the factories. The Government should think of various means so that proper weighment to the farmers is ensured, they get the full price of their full produce.

Then comes the question of delivery and delay in getting sugarcane from the farmers. The factory-owners make delays purposely or sub-consciously. But the delay is there. The delay may be due to the less crushing capacity of the factory-owners or it may be on account of more production of sugar-cane. So there should be some sort of formula devised by the Government that so much is the area and so much of sugar-cane has to be crushed, so that crushing is done in a time-table way. Therefore, a survey should be made first before starting a factory and the area under cultivation should be calculated—its yield and its capacity—and according to that time-table the factory people must be compelled to take sugar-cane; or if that is not possible sometimes when the cultivation in sugar-cane may be more than the capacity of the sugar mills, the Government should cancel the reserved areas for the factory. In which zone the sugar-cane farmers cannot crush their own sugar-cane and they are required to supply it to the sugar mills. Right from the start of the season, the condition may be relaxed if the factory is unable to take it. It should be done well in advance so that the farmers may be able to instal their own gur plant or crush the sugar-cane for making khandsari instead of supplying it up to May or June, in which case the farmer is the worst sufferer.

Now I come to the policy side of the Government. First I take up the question of nationalisation. My friends from the other side laid great stress on nationalisation. The more we talk of nationalisation, the more we advocate it more we harm the

[Shri Sujan Singh]

country. If we go on talking day and night about nationalisation and we will do harm than good. India is not in a position of nationalisation of every thing. For nationalisation, two main conditions are essential for a country. Firstly, the nationals of that country should be very patriotic—I do not say that we are not patriotic, but we are not patriotic in the sense that we keep our own interests below the interests of the country. The second other condition is that we should be able to work very honestly, especially those who are working in the factories of the Government. That also is not possible today. As my friend Mr. Varma said, most of the workers of the factories are not interested in the success of the factories because they do not have much of their own interest in them. And it is not Russia or other places where they are successful because strikes are not possible and they are patriotic people. Taking all those conditions, we feel that we are not suitable for nationalisation today; we may be after 10 or 20 years—but that is a different matter. As per the conditions prevalent today, nationalisation will really mean ruining the country. Let us take the co-operative movement in the country. Take the co-operative sugar mill of my own town, Sonapat, where there was an embezzlement of Rs. 68 lakhs during the Congress rule. It could be there even during the Janata rule. The recruitment in the cooperative mills, the Government mills, is mostly on a political basis. It is done on the advice of the Ministers and the people who are in the ruling party, whichever party may be in power. From what had been going on in the Congress rule, we can safely conclude that our party should not make this error or rather blunder of thinking to form co-operative mills or nationalising the mills. My friend advocated for nationalisation. I feel they are trapping us in a golden trap. We should not be trapped in that. It is merely a slogan and it will ruin our country.

The second point regarding the policy is decentralisation of the sugar mills. The sugar mills are mostly in the towns. The sugarcane is being supplied from the villages, and the manual labour is also supplied from the villages. The sugarcane and the manual labour first go to towns and the sugar comes to the villages. This is rather a strange phenomenon. The khandsari mills should be in the villages. The sugar produced in the mills in India is sufficient for our export purposes. For home purposes, if we Indians are patriotic, all of us should take khandsari sugar. No more sugar mills should be set up; only khandsari mills should be set up in the villages. The money required for setting up one sugar mill will suffice for setting up 100 or more khandsari mills. Let us now come to the villages instead of going to the towns and let us encourage khandsari industry in our rural areas and thus create more employment. With these words, I take my seat. I am thankful to you, Sir.

SHRI N. G. RANGA: Mr. Vice-Chairman, Sir, I wish to express my satisfaction over the appointment of my friend, Mr. Bhanu Pratap Singh, as Minister of State for Agriculture. That is one appointment in this Janata dispensation which pleases me the most. Ministers come and Ministers go but then it is very rare that a Minister comes from the farming community, who is interested in the farmers, who has been fighting for the farmers and who would like to do his best for the farmers, and it is that man I find in Mr. Bhanu Pratap Singh. That is why I wish to welcome his appointment. I had an opportunity to work with him as my colleague in the Swatantra Party for a number of years. Earlier, I was fighting for the self-employed peasants, for their freedom to carry on their cultivation on their farms and against the then national campaign that was started to convert them into workers, proletariats and wage-slaves by pooling all their

holdings into the so-called co-operative farms, leading to collectives, and in that way to demoralise the whole of our farming and peasant masses. Therefore, I welcome his appointment. But would he be successful in protecting the interests of the peasants, however much he might like to, unless the programme and the policy of the Government as a whole is so oriented as to give priority to the protection of the peasants, then the workers, then the consumers and last, though not the least, the manufacturers? I do not wish to go into all the other details which have been mentioned by many of our friends who are interested in our farmers as well as our workers. Everyone of them has spoken on one aspect or the other in a constructive way about the workers as well as the farmers and the need for protecting them. What about the consumers?—the Government would say. It is the consumers who are being protected. In the eyes of the Government, somehow the consumers and the manufacturers loom large. Then naturally the workers come because they are very well organised. They can go on strike; they can assert themselves very effectively. But the farmers are not able to assert themselves so well. Therefore, though they are huge in number, they are very ineffective. They are very ineffective in impinging upon the mind of the Government, upon the power of the Government and upon the attentions of the Government also.

Sir, as things are now, as I learn now, the price policy pursued by the Government in this regard is so modulated as to make it possible for the sugar factories to run their manufacture in a remunerative way. I have no quarrel about it. Even if all of us were to have a national Government, we will have to protect the sugar manufacturing industry, just as we have got to protect every industry of that kind in our country. But, at the same time, should not the Government think of the other classes also? Now, the Government might say

“What is it that we can do?” “We have already reduced”, they would say, “the excise duty”. But we have been asking for the abolition of the excise duty. I do not know why the Government has not thought of it—the past Government as well as the present Government and previous to them, the British Government also. They have got into that bad tradition. Now they have found it necessary to reduce, for the first time, the excise duty on sugar for the purpose of protecting the sugar manufacturers, the sugar manufacturing industry and to make it possible for them to carry on the production of sugar in a remunerative way. Having done that, why should they not make a further reduction in order to reduce the price of sugar so that they can serve the consumers also? Can we not make a further reduction in order to assure the sugarcane growers a remunerative price? Should they not think on these lines? All the time our friends of the Communist Party of India (Marxist) on this side and our friends of the Communist Party of India on the other side have been prodding our Government—the successive Governments—to go on thinking, for or against, in one direction only and that is, of nationalisation, as if that is a kind of panacea. Well it may be a panacea; it may come to that; we do not know. But for the time being, it is clear that it is a dead horse. Both the Communist Parties go on asking for nationalisation as a kind of “mantra” in the usual fashion. But nationalisation is nowhere there on the horizon. There was a committee appointed at one time by the Uttar Pradesh Government, and that committee recommended in favour of nationalisation. Then I put it to the Congress President at that time “Why not we implement it?” They were not able to implement it. Mr. Charan Singh is also one of my friends, a very dear friend so far as the kisan front is concerned. He is on that side, the Janata front, and I am on this side, the Congress front. That is on politics. But when it comes to kisans,

[Shri N. G. Ranga]

we are both on the same front. And he, too, was in favour of nationalisation at one time. Does it come? Would it come? Can it come? Now, Mr. Varma has already given the answer and Sardar Sujan Singh has supported it. I do not think it is going to come. Therefore, let us not talk about it for the time being. What is the other thing that they can do? They can certainly reduce the consumers' price. Can they do it? They cannot do it so long as the workers go on maintaining their demands and the peasants go on maintaining their demands also. So that price cannot be reduced. It does not look as if it is going to be reduced.

What is the other thing that the Government can do? What is open to the Government to do? Some time ago it was feared that the country might be faced with a surplus of sugar production and therefore we wanted to export. So we joined an international cartel and we somehow or other bargained with that cartel and we got the permission for exporting about one lakh tonnes, I suppose. We could export only by subsidising our production here. Our friend, Mr. Sinha, has already told us that the subsidy was to the tune of Rs. 1,000 per tonne. Was it not so? We were subsidising sugar export. Now we have enough of production. We have more than enough foreign exchange. At that time there was a great premium on earning foreign exchange. We were badly in need of it. Therefore, we were very keen on exporting our sugar at subsidised prices. But where is the need now? There is no need any longer for exporting sugar to other countries at such a heavy subsidy. Can we not stop that? By stopping that would we not be able to save crores of rupees? Can we not possibly utilise all that money in order to pay a higher price to our growers? Why should not the Government think about it? Why should not the Government think even in regard to

higher wages also? I would like them to begin thinking on those lines. Stop the export. Stop that subsidy. Make available all the sugar that is being produced here at present prices, if possible at reduced prices, to our own people....

SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA (Karnataka): But can we consume all the sugar that is produced in the country?

SHRI N. G. RANGA: I do not think there is any difficulty for marketing it in our country. If in one year or two years we are not able to sell the whole of it or if there is a kind of surplus, we must find out ways and means by which the surplus can be preserved and utilised for various preservation industries. So I do not think there should be any difficulty at all of unsold or unsaleable surplus of sugar. We can reduce the price. Industrial workers are badly in need of it. Professionals are badly in need of it. Instead of that, why do you subsidise foreigners and foreign consumption? I would like the Government to begin thinking on those lines. In that way my honourable friend, Mr. Bhanu Pratap, who wishes to serve our kisans, our consumers and our workers, can do some useful work.

The other thing that they can do is to equalise, not completely, but more or less, the price at which they are making it available to our own producers, to the producers in our own country. There was what was known as the Marathe Committee. That Committee went into the question of sugar-cane price in different States. So far as the south is concerned, it is reported to have recommended a price of about Rs. 130 to Rs. 140. The prevailing price is only Rs. 100 or Rs. 110, never more than that. Why should there be this kind of discrepancy between what they have considered even under the present circumstances to be a reasonably remunerative price that could be paid to the sugar-cane growers of the

south without making anybody lose whatever they are getting at present, and that paid in the north? That recommendation was supported by the All India Sugar-Cane Growers' Conference to which my honourable friend, Mr. Bhanu Pratap, was invited and where he was present. Our people have been pressing this kind of equity, between the sugar-cane growers of UP and Bihar where the production is much less, sucrose content is much less, and yet the price that is being paid is so much more than what is being paid in the south. It may be argued that production is so much more in the south as also the sucrose content and therefore they are getting so much more. The wages that are being paid to our workers are more than that paid in UP and Bihar to your agricultural workers, to your industrial workers, and the standard of living of the workers there is higher than what is prevalent among the agricultural population of UP and Bihar which have been suppressed for a very long time by the industrialists. Therefore, they deserve a higher price, not higher than what is paid in UP and Bihar, but higher than the price that they are getting now.

I would like my friend Shri Bhanu Pratap Singh to give special consideration to this matter and press this consideration before his colleagues in the Cabinet. After all a Minister is only one person and he can only present his point of view in the group of Ministers and however strong he may be, he may not sometime succeed. No Minister can possibly be stronger than the late Rafi Ahmed Kidwai *vis-a-vis* Jawaharlal Nehru and even he was not able to help our farmers. Generally speaking, the Ministry is urban oriented, factory oriented, industry oriented and rich people oriented. Why? There are so many reasons for that. One of them is election expense. They need money. They find it much more convenient to get it from the factory owners than from our poor kisans. If they have to collect one million rupees, it is difficult for them

to go round and collect one rupee each from one million kisans. So they approach the sugar factories. There are only hundred or so and it is easy to approach these hundred factory owners. This is what they have been doing right from Jawaharlalji, Shastriji, Indiraji and now Morarji Bhairu. It is all the same. Even if you are the Prime Minister or if I were the Prime Minister, we all will be under the influence of this wretched election and need for money. We will do the same thing. This is what is happening. Therefore, I would like my friend to convey to the Cabinet this more or less unanimous view. This is the view expressed here by all the parties more or less in an unanimous way. Shri Ranbir Singh said this; Shri Rai said this; Shri Mehta said this; Sardarji said the same thing and Vermaji also was of the same view. But who is being protected? The factory owners are being protected. We have no objection if they are being allowed only to get remunerative price. They may be making something more this side or that side. That is because your CBI is not effective and we cannot control those very clever people. But try to serve the consumers also; more so the industrial workers and much more so the peasants themselves. So far as the industrial workers are concerned, these two Communist Parties, the INTUC and various other trade unions are powerful enough to look after them. But when it comes to the poor peasants we are not able to assert ourselves. Shri Ranbir Singh has already given certain reasons for that. He said: We must produce. If we do not produce, then we will starve. The CBI, the Police and all others are on our heads. If we do not produce, these two Communist Parties will ask the Government to take over the land. When it comes to that, they are all united. When it comes to the protection of the peasants, they are completely helpless. The previous Government may have committed blunders and they have neglected many vital things. Now you get a chance. Do something. No use harping upon

[Shri N. G. Ranga]

the failures of the earlier Government. Do not commit the same failures, same mistakes and same blunders. Be wise and try to give the minimum justice to the peasants. How could you do it? The easiest thing is to give them two things. First, stop this subsidy. Then give up your sugar excise. Take away this excise duty. Why not raise the excise duty on various other commodities and manufactures? Why raise it or levy it on this primary commodity? This is a secondary commodity. You do not raise it on sugarcane. But you raise it on sugar. It is the same thing. It is taken out of the peasants themselves. Give up your excise duty. Why do you punish them? Then spread it in an equitable manner, in a prorata fashion according to the contributions made by the farmers, industrial workers and then the consumers. The consumers need it. They are the citizens of the country. I would like my friend Shri Bhanu Pratap Singh to convey these thoughts, this attitude and this approach to the Janata Government.

And, Sir, let them earn big kudos for it and I will be very happy. I will be the first one to congratulate them also. When the next elections come, I will tell: "These are the people who have served us. Let us now stand by them; at least let us not oppose them." But, on the contrary, if like the other people they do things in the same way as they have been doing and in the same manner I have been opposing and condemning, then, I will continue to condemn this Government also. Thank you, Sir.

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं तो हमेशा ब्रीफ रहता हूँ। श्रीमन्, जब चीनी और गन्ने के ऊपर बहस होती है तो स्वाभाविक है कि हम लोग जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के हैं, गोरखपुर और देवरिया के उन को अपनी मूसीबत याद आ जाती है और इसी वक्त

मैं पहले कह दूँ कि हमारे लायक दोस्त प्रो० रंगा साहब ने कहा कि ईस्टर्न यू० पी० और बिहार में जो गन्ना पैदा होता है उस में सुक्रोज कंटेंट कम होता है। यह सही है कि मिल वाले रिकवरी लो दिखाते हैं मगर यह सही नहीं है कि हमारे गन्ने में सुक्रोज कंटेंट कम होता है। असलियत यह है कि जो मिलें वहाँ बिठायी गयी हैं वह इतनी पुरानी हो गयी हैं और उन का मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ है, उन मशीनों के पार्ट्स का रिप्लेसमेंट नहीं हुआ है और मशीन खराब होने के नाते वहाँ रिकवरी का परसेटेंज लो होता है और इस का इल्जाम वहाँ के किसानों और गन्ने पर लादा जाता है कि वहाँ का गन्ना जो है उस में सुक्रो कंटेंट कम होता है। सुक्रो का कंटेंट और रिकवरी कम होने के कारण वहाँ की फैक्ट्रीज का खराब होना है। फैक्ट्रीज की dilapidated कंडीशन क्यों है इस पर भी हम जाना होगा और इस की जिम्मेदारी हम लोगों के सामने बैठे हैं बुजुर्ग नेता पं० कमला पति जी त्रिपाठी उन की भी काफी है। मैंने कहा कि हमारे यहाँ जो फैक्ट्रियों की खराब हालत है और मिल मालिकों ने उन का जितना रस था वह जो निकाल लिया है और सड़ी गली मशीनरी छोड़ दी है उस की थोड़ी सी जिम्मेदारी हमारे बुजुर्ग नेता पं० कमलापति जी की भी है। 1971 में कांग्रेस के स्पिलिट के बाद बम्बई में जो कांग्रेस का सेशन हुआ था उस में पंडित जी ने प्रस्ताव पेश किया था कि चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय और वह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ। उस प्रस्ताव के पास होने के साल, दो या तीन साल के अन्दर अगर राष्ट्रीयकरण हो गया होता या निश्चित तौर पर कह दिया गया होता कि राष्ट्रीयकरण नहीं होगा तो फैक्टरीज की हालत इतनी खराब न होती जितनी कि आज है। मिल मालिकों के ऊपर उस के बाद राष्ट्रीयकरण की तलवार लटक गयी मगर सरकार किन्ही कारणों से राष्ट्रीयकरण करने के लिये तैयार नहीं हुई और नतीजा

यह हुआ कि मिल मालिक फैक्टरीज से जितना मैक्सिमम निकाल सके वह उन्होंने निकाल लिया और सड़ा गला लोहा मशीनरी के रूप में मिल में छोड़ दिया कि सरकार चाहे तो उस का राष्ट्रीयकरण कर ले । फिर सरकार की राष्ट्रीयकरण करने की हिम्मत नहीं हुई । जब दिल्ली सरकार के सामने बात आयी तो दिल्ली सरकार ने कहा कि यह राज्य सरकार, चाहे तो कर ले और जब राज्य सरकार के सामने बात आयी तो उसने कहा कि दिल्ली की सरकार के सामने हम ने लिख कर भेज दिया है और दिल्ली सरकार चाहे तो राष्ट्रीयकरण कर ले । इस तौर पर राष्ट्रीयकरण का मसला उत्तर प्रदेश में वहाँ की चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण का मसला राज्य सरकार और दिल्ली की सरकार के बीच में गेंद की तरह से कूदता रहा । पिछले साल तक यह हालत रही । नतीजा यह हुआ कि चीनी मिल मालिकों ने अपनी सारी पूंजी निकाल ली और उस पूंजी का बीस गुना मुनाफा भी निकाल लिया था । उसके बाद सरकार से और बैंकों से कर्जा लेकर मिल के ऊपर इतना कर्जा रख दिया कि सरकार कभी सोच भी न सके कि राष्ट्रीयकरण करे । आज मैं भी कह सकता हूँ कि उन मिलों का राष्ट्रीयकरण लाभकारी नहीं होगा, हितकारी नहीं होगा ।

श्री श्याम लाल यादव (उत्तर प्रदेश) : बेकार है ।

श्री नारायण प्रसाद शाही : लेकिन उससे सबक कौन ले ? इस सरकार की दुविधाजनक नीति से मारे गये किसान और मजदूर । चीनी मिलों का मजदूर मारा गया । मैं केवल एक फैक्टरी की मिसाल आपको देता हूँ । हमारे देवरिया में खड्डा शूगर मिल है । उसके कुल मजदूर आस पास के गावों के हैं । उन्होंने यह सोचा कि अगर हम मिल को बन्द कर दें तो हमारी रोजी चली जाएगी । इसलिए वे अपने घर से खाना लेकर आधा

पेट खाकर सालों तक काम करते गये और उस फैक्टरी पर एक एक मजदूर का दो दो तीन तीन हजार रुपया मजदूरी का बाकी है । हालत यहाँ तक आ गई कि पंडित कमलापति जी त्रिपाठी पहले मुख्य मंत्री हुए तो वह खड्डा गये । उस समय मजदूरों का 90 लाख रुपया बाकी था खड्डा मिल के ऊपर, कई साल की लगातार मजदूरी बाकी थी । मजदूरों की मांग पर एक रिसीवर भी अपाई हो गया था । मजदूरों ने मांग की कि हमारी मजदूरी सालों की बकाया है वह मिल जाएगी, लेकिन उनको कोई रुपया नहीं दिया गया । मजदूर लोग दुखी हुए और लौट गये । यह हालत रंगा साहिब को बता दूँ कि वहाँ के चीन मिल मालिक उत्तर प्रदेश और बिहार के किस तरह से शोषण किए हैं किसानों और मजदूरों का उसकी कोई तुलना दक्षिण की चीनी मिलों से नहीं की जा सकती । दक्षिण में चीनी मिलें कोओपरेटिव सैक्टर में हैं । महाराष्ट्र में भी कोओपरेटिव सैक्टर में है, आंध्र में भी हैं वहाँ इस तरह का शोषण नहीं चलता है जिस तरह से कि शोषण पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में मिल मालिकों ने किया है । क्यों किया, इसका भी कारण है । मैं किसी पर दोषारोपण नहीं करता । अभी पिछले साल जब हम लोगों ने गोरखपुर में कलेक्टर से पूछा सरदार नगर चीनी मिल के ऊपर किसानों का इतने लाख रुपया बकाया है तुम रिकवरी की कार्यवाही क्यों नहीं करते ? उसने जवाब दिया, माहब रिकवरी के लिए हमको सेंक्शन लेनी पड़ती है दिल्ली की सरकार से तब हम रिकवरी वारंट जारी करते हैं । वहाँ से हमको सेंक्शन नहीं मिल रही है, दिल्ली की सरकार से सेंक्शन नहीं मिल रही है । क्यों सेंक्शन नहीं मिलती है ? इसलिए सेंक्शन नहीं मिलती है कि इन मिल मालिकों से चुनाव कोष में इतनी लम्बी रकम चन्दे में मिल जाती है कि उन्हें छूट रहती है कि किसानों और मजदूरों का रुपया दबाकर बैठे रहें ।

[श्री नागेश्वर प्रसाद शाही]

बस्ती का चीनी मिल मालिक नारंग दिल्ली में बैठकर बड़े नेताओं के सम्पर्क में रहता है। किसी जिलाधिकारी की हिम्मत है कि उसको गिरफ्तार करे और उसकी मिल पर कुर्की ले जाए? आज किसान के ऊपर नहरों का और ट्यूबवैल के लगान का 10 रुपया बकाया होता है तो उसका बैल कुर्क हो जाता है। उसका सारा सामान कुर्क हो जाता है लेकिन इन मिल मालिकों पर ग़ल्ट किसानों का करोड़ों रुपया बाकी रहता है, मगर इनके गोदामों की चीनी भी नहीं कुर्क हो सकती है। इसलिए कि दिल्ली की सरकार इजाजत नहीं देती। नारंग ब्रादर्स के ऊपर नेताओं के साथ क्या संबंध है, इस बात को सभी लोग जानते हैं। श्री श्यामलाल यादव जी जानते हैं और चौधरी रणवीर सिंह भी जानते हैं। आज हमारे देश में यह हालत हो गई है और इस हालत के अन्दर किसानों के साथ न्याय की बात कही जाती है। किसानों के साथ कोई भी सरकार तब तक न्याय नहीं कर सकती जब तक किसान के अन्दर वह क्षमता पैदा नहीं हो जाती है जो क्षमता आज हमारे देश के मजदूरों में है। आज हालत यह है कि मजदूर कहता है कि हमारी मजदूरी बढ़ाओ वरना हम काम बन्द कर देंगे। इसी तरह से जब तक हमारे देश का किसान यह नहीं कहेगा कि हमारे दाम बढ़ाओ वरना हम काम बन्द कर देंगे तब तक किसानों की तरफ कोई ध्यान देने वाला नहीं है। चूंकि किसान ऐसा नहीं कर सकता है, इसलिए उसकी हालत खराब हो गई है। आज हमारे नजरिये में भी बहुत बड़ा फर्क है। मुझे हमारे मजदूर नेता इस बात के लिए क्षमा करें कि आज हमारे देश में किसान मजदूरों से ज्यादा ईमानदार है। उसकी वफादारी मुल्क के प्रति ज्यादा होती है। वह देश के लिए सब कुछ कुरबान करने के लिए तत्पर रहता है। वह आधा पेट खाकर

भी देश के लिए अब पैदा करता है, लेकिन मजदूर अपनी मजदूरी के लिए किसी हद तक भी जा सकता है। यह दोनों में मूल फर्क है। किसान की इस मजबूरी का फायदा सभी लोग उठाते हैं और सरकार भी उठाती है। आज हमारी सरकार का यह ख्याल है कि अगर लेवी शुगर का दाम बढ़ाया जाएगा तो शहरों में हंगामा शुरू हो जाएगा। किसानों को गांवों के अन्दर चीनी नहीं मिलती है तो भले ही उसको चीनी न मिले, किसी को इसकी परवाह नहीं है। लेकिन शहरों में वह ठीक प्रकार से मिलनी चाहिए। आज स्थिति यह है कि गांवों के लिए चीनी का जो कोटा मिलता है वह व्यापारियों के गोदामों में चला जाता है और शहरों में ऊंचे दामों पर बिकता है। गांवों के अन्दर किसानों को चीनी मयस्सर नहीं होती है। शहरों और गांवों में यह फर्क जरूर है कि जो चीनी गांव वालों के लिए अलॉट की जाती है वह शहरों में फ्री मार्केट में मिलती है। जो चीनी गांव वालों को 2.15 रु० प्रति किलो के हिसाब से मिलनी चाहिए वह बाजार में उनको 5 रु० या 6 रु० प्रति किलो के हिसाब से मिलती है।

श्रीमन्, हमारे देश के चीनी मिल मालिकों की मांग है कि चीनी को एक्सपोर्ट किया जाये। गोदामों के अन्दर जो चीनी है उसके दाम वे घटाने के लिए तैयार नहीं हैं। वे चाहते हैं कि चीनी का एक्सपोर्ट हो। वे यह भी चाहते हैं कि उनको किसी भी तरह से मुनाफा होना चाहिए भले ही वह पब्लिक की कौस्ट पर हो। हमारे देश की जनता चाहे तबाह हो जाय, इससे मिल मालिकों को कोई सरोकार नहीं है। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी सरकार ने उनकी मांगों को स्वीकार नहीं किया है और पहले उसने जो वायदा किया था कि चीनी के एक्सपोर्ट में किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं की

जाएगी उसकी उसने रक्षा की है । प्रो० रंगा ने जो यह सुझाव दिया है कि एक्साइज ड्यूटी घटाई जाय, उसके संबंध में भी सरकार के सामने दुविधा है । अगर गन्ने के दाम बढ़ाये जाते हैं तो गन्ने की पैदावार बढ़ेगी और अगर गन्ने का उत्पादन ज्यादा होता है तो चीनी का उत्पादन भी बढ़ेगा और वह 20 लाख टन से भी ज्यादा पहुंच जाएगा । क्या होगा उसका ? उसका एक ही तरीका है । मिल मालिक अपने मुनाफे की मात्रा कम करे और सरकार एक्साइज ड्यूटी कम करे ताकि देश का गरीब त का भी चीनी का स्वाद पा सके । आज वह मजबूर है । 4 रुपये किलो चीनी खरीद करके कोई गरीब आदमी नहीं खा सकता । उसको तो बाजरा और जो से पेट भरना पड़ता है । वह तभी चीनी खा सकता है जब कि उसको चीनी.....

(Time bell rings)

श्रीमन्, मैं दो तीन मिनट में समाप्त करता हूँ ।

चीनी तभी वह खा सकता है जब कि उसके दाम कम लाये जाय । चीनी का जो उत्पादनकर्ता है, गन्ने के खेत में जो काम करता है, चीनी उसको मुहैया नहीं होती । इसलिये श्रीमन्, ऐसा प्रयास होना चाहिए कि चीनी 3 रुपये या पौने तीन रुपये किलो के हिसाब से गांव के लोगों को मिल सके ।

श्रीमन्, एक बात की ओर मैं मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूँ । अभी आपने जो फैसला किया है, शहरों में दिये जाने वाली चीनी की मात्रा प्रति व्यक्ति कम करके चीनी गांवों की ओर डाइवर्ट की गई है । आपका इरादा चाहे बहुत अच्छा हो, आपने बहुत अच्छे उद्देश्य से किया हो, आप चाहते हैं कि गांव के लोगों को भी चीनी मिले, लेकिन आपके पास व्यवस्था क्या है, गांवों में चीनी के वितरण की व्यवस्था क्या है । अभी भी वही कोटेदार, वही

बनिये कोटेदार जो गांव के नाम पर चीनी लेते हैं और शहरों में ब्लैक में बेचते हैं, आज भी वही चीनी उठावेंगे और नतीजा यह होगा कि गांव के नाम पर जो चीनी की मात्रा बढ़ाई गई है, वह सारी चीनी, लेवी की सुगर फ्री सुगर के तौर पर बाजार में बिकेगी । इसलिये मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करता हूँ कि जब तक गांवों में चीनी के वितरण की व्यवस्था ठीक न हो जाय, तब तक चीनी को बनियों के हाथ में नहीं सौंपना चाहिए । यह बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि अभी तक राज्य सरकारें इतनी सक्षम नहीं हैं और हमारे यहां जो हालत है, उससे मैं कह सकता हूँ कि वह कतई सक्षम नहीं है कि उसकी व्यवस्था कर सके । इसलिये श्रीमन्, मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूँ कि जब तक वहां व्यवस्था न हो जाये और जिसके लिये जिन किसानों के लिये चीनी दिये जाने की व्यवस्था की जा रही है अगर उन तक चीनी नहीं पहुंचती है तो इसका कोई फायदा नहीं होगा और यह बिना पहियों का चक्र जो ब्लैक का है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा । इसलिये इसके लिये आवश्यक व्यवस्था की बहुत जरूरत है ।

दूसरी बात जो इस डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम के संबंध में है वह यह है कि एक-दो बड़े शहरों को छोड़ करके बाकी शहरों के लिये सुगर की पर यूनिट काफी कम कर दी गई है । इसका नतीजा यह होगा कि अधिकांश लोगों को बाजार में जा करके 4 रुपये किलो चीनी खरीदनी पड़ेगी । तो जिस दृष्टि से सरकार ने यह सारी व्यवस्था बनाई है और जो लक्ष्य उनका है, वह लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा । इसलिये आवश्यक है कि जो सुविधा आप दिल्ली को दे रहे हैं—दिल्ली में आपने नहीं घटाया, दूसरे शहरों में घटा दिया—वह सुविधा आप को दूसरे शहरों को भी देनी चाहिए और पहले की जो मात्रा है, उसको रेस्टोर करना चाहिए ।

(Time bell rings)

[श्री नागेश्वर प्रसाद शाही]

अब मैं खत्म कर रहा हूँ, श्रीमन् ।

उपसभाध्यक्ष (श्री एच० एम० त्रिवेदी) :
अब खत्म कीजिये शाहीजी ।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : खत्म कर रहा हूँ, श्रीमन् । सरकार का उद्देश्य चाहे कितना ही अच्छा हो, अगर उसका फल ठीक नहीं निकलता है तो उसका देश को कोई लाभ नहीं होता और जो अनुभव है वह यह बता रहा है कि इस समय जो व्यवस्था चीनी की की गई है, उससे किसानों को चीनी प्राप्त नहीं होगी और किसान को अपने गन्ने का माकूल दाम भी नहीं मिलेगा । इससे अच्छा हो कि किसानों को अपना गुड़ ही खाने दीजिए मगर गन्ने का दाम उनका बढ़ा दिया जाए । किसान चीनी के लिए ल लायित नहीं है लेकिन चीनी देने के बहाने और चीनी का भाव स्थिर रखने के उद्देश्य से गन्ने का दाम न बढ़ाना यह उचित बात नहीं है । इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस पर अवश्य विचार करें । जो यह चीनी देने की व्यवस्था है, उसको रोक कर के किसानों के गन्ने का दाम बढ़ाने की बात सोचे । धन्यवाद ।

श्री भानु प्रताप सिंह : श्रीमन्, मैं उन सभी सदस्यों का बहुत आभारी हूँ जिन्होंने इस विषय पर अपने मूल्यवान सुझाव रखे हैं । विशेषकर मैं प्रोफेसर रंगा का आभारी हूँ जो उन्होंने मेरे ऊपर कुछ अच्छे शब्द कहे हैं । मैं प्रोफेसर रंगा को तथा दूसरे सभी माननीय सदस्यों को एक बार आश्वासन देना चाहता हूँ कि मेरे दृष्टिकोण में किसानों के हित से कोई ऊंचा हित नहीं है, फिर उनका हित कैसे सधेगा और आज की परिस्थितियों में हम कुछ और कर सकते थे, इस पर विचार करना पड़ेगा । मैं यद्यपि सभी प्रश्न जो उठाए गए हैं उनका उत्तर देने का प्रयास

करूंगा परन्तु फिर भी मैं अकेले-अकेले एक एक सदस्य को आमंत्रित करता हूँ अगर कहीं किसी के दिमाग में कोई सन्देह रह जाए तो मैं उस सन्देह को मिल कर उसे दूर करने के लिए तैयार हूँ । अगर कोई रास्ता आप दिखा सकते हैं तो हम उस पर चलने के लिए भी तैयार हैं । श्रीमन् इस पूरी स्थिति को समझने के लिए कुछ हमको थोड़ा इसके पीछे जो बैकग्राउंड है, इंडस्ट्री की क्या दशा है इस पर पहले विचार करना होगा । मैं इसको स्वीकार करता हूँ कि आज गन्ना उत्पादक, गुड़ बनाने वाले खाण्डसारो बनाने वाले और चीनी बनाने वाले यह सब एक संकट के दौर से गुजर रहे हैं । लेकिन यह संकट क्या है ? क्यों आया । संकट का मुख्य कारण यह है कि जितनी आवश्यकता है उससे ज्यादा चीनी पैदा हुई है । हम उतनी खपत नहीं कर रहे हैं । विदेशों को हम भेज नहीं सकते हैं क्योंकि मूल्य जैसे बताया गया बहुत गिर गए हैं । पिछले वर्ष 48 लाख टन चीनी पैदा हुई । हमारी अकेले खपत सिर्फ साढ़े सैंतीस लाख टन की है । कुछ पहले की भी बची हुई शुगर थी । इस प्रकार से यह चीनी का वर्ष जो बीता है उससे हमारे पास कैरी-ओवर 15 लाख टन का होगा । जो अब वर्ष चल रहा है इसमें अनुमान है कि 52-53 लाख टन पैदा होगी तो 52-53 और 15 लाख टन पुरानी मिला कर यह 67 लाख टन हो जाएगी । विदेशों में तो बिकने की सम्भावना नहीं है । नुकसान उठा कर भी साढ़े सात लाख टन चीनी से ज्यादा चीनी विदेशों में नहीं बेची जा सकती । जैसे मैं कह चुका हूँ साढ़े सैंतीस लाख टन से ज्यादा चीनी की खपत का अनुमान नहीं है । इस सब का परिणाम यह होने वाला है कि अगले वर्ष 15 लाख टन की बजाय और ज्यादा कैरी-ओवर स्टाक होगा । लोग तुलना करते हैं पिछले वर्षों से और कहते हैं कि उसके मुकाबले में आज ऐसी स्थिति क्यों पैदा की जा रही है । अन्तर्राष्ट्रीय जगत में चीनी का मूल्य आज से तीन वर्ष पहले 700 पौंड प्रति टन था ।

और अब वह गिर कर 110 पाउण्ड प्रति टन हो गया। शायद ही कोई ऐसी दूसरी वस्तु हो जिसका मूल्य इतना गिरा हो। अब अन्तर्राष्ट्रीय जगत में जो कुछ होता है उसका परिणाम कुछ न कुछ किसी न किसी रूप में हमारे सामने आता है। अगर हमें यह अवसर होता कि हम अपनी शक्कर को 7 सौ पाउंड या 2 सौ-3 सौ पाउंड में बेच सकते तो निस्संदेह हमारे सामने कोई सकट नहीं होता बल्कि एक सुअवसर होता। जो पिछले 2-3 साल पहले की बात कही जाती है उस समय से तुलना की जाती है तो उस समय सुअवसर था कि भारत सरकार ने शक्कर बेच कर मुनाफा कमाया 400 करोड़ रुपया जैसा कि कहा गया लेकिन आज इसकी कोई सम्भावना नहीं है। अब प्रश्न यह रह जाता है कि विदेश में जा नहीं सकता, थोड़ा बहुत तो जाएगा लेकिन ज्यादा नहीं जा सकता, तो अपने देश में खपत कैसे बढ़ाई जाए। यह बढ़ सकती है या नहीं बढ़ सकती है। श्रीमन्, मैंने आंकड़े इकट्ठे कराए हैं अगर हम शक्कर, खांडसारी और गुड़ तीनों का हिसाब लें तो अपने देश में अभी भी प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष उतनी खपत हो जाती है जितना कि संसार का औसत है। यह बात जरूर है कि हम चीनी की शक्ल में कम खपत करते हैं लेकिन चीनी, खांडसारी और गुड़, इन तीनों को जोड़ दिया जाए तो संसार का जो औसत है उससे भारतीय को कम नहीं मिल रहा है। अब शक्कर एकाएक ज्यादा कैसे हो जाएगी, यदि मान भी लिया जाए थोड़ी देर के लिए जैसा कहा जाता है कि इसकी कीमत घटा दी जाए तो खपत बढ़ जाएगी लेकिन फिर क्या होगा खांडसारी का और गुड़ का। इसलिए जब तक टोटल मात्रा की खपत न बढ़े तब तक यह प्रश्न उठता है कि हम गन्ना ज्यादा किसलिए पैदा करायें। जो किसानों के हित की बात कही जाती है मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या यह किसानों के हित में है कि हम आज 15 रु० क्विंटल की घोषणा करके उनको प्रोत्साहित करें और

जब किसान गन्ना पैदा करे तो हम अगले साल उसका गन्ना न निकलवा सकें उससे शक्कर न बनवा सकें और न खांडसारी तथा जो बन भी जाय उसकी खपत न करा सकें। इसलिए किसान का हित अगर करना हो तो उसको दूरगामी दृष्टि से देखना पड़ता है। इस देश में जब तक चीनी की, गुड़ की सबकी खपत किसी उपाय से न बढ़े तब तक गन्ना अधिक पैदा कराने के लिए प्रोत्साहन देना किसान के हित में नहीं है।

श्रीमन्, दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूँ वह यह है कि यहां नियंत्रण, आंशिक नियंत्रण, नियंत्रण मुक्त, टोटल कंट्रोल, पारमिगल कंट्रोल, डी कंट्रोल की बात कही जाती है। जहां तक चीनी उद्योग का सम्बन्ध है मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि वास्तव में व्यवहार में जहां तक किसान का सम्बन्ध है जहां तक उपभोक्ता का सम्बन्ध है तहां तक वास्तव में कोई फर्क नहीं है। क्यों ? क्योंकि हम इस उद्योग में जो उसका कच्चा माल है, रा मेटेरियल गन्ना है, उसके मूल्य को नियंत्रित करते हैं। जो शक्कर का मूल्य है उसको भी नियंत्रित करते हैं लेवी शुगर का तो हम करते हैं ही लेकिन जो फ्री शुगर कहलाती है उसको भी हम नियंत्रित करने में इसलिए सफल हैं कि आज यह देश ओवर प्रोडक्शन की स्थिति में है। अगर चीनी खुले बाजार में जो बिकती है उसका मूल्य अगर बढ़ने लगे तो थोड़ी सी चीनी की निकासी और कट दी जाय तो मूल्य गिर जाता है। जिस स्तर पर चाहे उस स्तर पर खुले बाजार में चीनी का मूल्य, पांच रुपए और सात रुपए या इधर उधर की बात तो मैं नहीं करता या कोई स्थानीय कठिनाई आ जाय और उसके कारण फर्क पड़ जाय, अन्यथा आज खुले बाजार में हम चीनी का मूल्य भी नियंत्रित कर सकते हैं। और जब हम डी-कंट्रोल की बात करते हैं उस सूरत में भी ऐसा नहीं होगा कि चीनी का दाम मनमानी बढ़ सके। हां, अगर कभी भी स्थिति होती तब जरूर सरकार

* [श्री भानु प्रताप सिंह]

नियंत्रित कर सकती थी डी-कंट्रोल की स्थिति में लेकिन आज जो मैंने बताया कि अधिक पैदावार की स्थिति है उसमें कंट्रोल, डि-कंट्रोल, पार्शियल कंट्रोल—जहां तक किसान का सम्बन्ध है और जहां तक उपभोक्ता का सम्बन्ध है—उससे कोई विशेष अन्तर नहीं है।

अब यह कहा गया है—एक आरोप लगाया गया है कि इस सरकार ने उद्योगपतियों को 80 करोड़ रु० यू० ही...

* श्री कल्पनाथ राय : 85 करोड़ रु०।

श्री भानु प्रताप सिंह : आपने 5 करोड़ और बढ़ा दिया, ऐसे ही बतौर खैरात या बतौर रिश्तत, जो भी समझिए। श्रीमन्, यह बिल्कुल निराधार बात है यदि माननीय सदस्य जरा ध्यानपूर्वक सुनें तो उनकी समझ में भी आ जाएगा।

श्री कल्पनाथ राय : क्या एक्साइज ड्यूटी नहीं छोड़ी गई है। मैंने स्पेसिफिकली कहा।

श्री भानु प्रताप सिंह : अब आप सुन लीजिए। मैंने आपकी बात सुन ली। मैं स्पेसिफिकली बता रहा हूं। चीनी पैदा करने का खर्च 215 रु० प्रति क्विंटल औसत आंका है ब्यूरो आफ इन्डस्ट्रीयल कास्ट्स एण्ड प्राइसेस ने। अब यह कहा जाता है कि चीनी के मिल-मालिक बढ़ा-चढ़ा कर अपना खर्चा बताते हैं। श्रीमन्, यह बात सही है। उसका अनुमान इससे ज्यादा है, वे हमेशा इस औसत 215 रु० से ज्यादा का दावा करते हैं लेकिन हमने उसको स्वीकार नहीं किया। हमने तो उनके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को स्वीकार किया है जो सरकार का ही एक अंग है, ब्यूरो आफ इन्डस्ट्रीयल कास्ट्स एण्ड प्राइसेस, उसने ही हमको बताया है कि 215 रु० प्रति क्विंटल चीनी का उत्पादन व्यय (औसत) देश का है। अब अगर चीनी उद्योग को चलते रहना है, काम करते रहना

है तो, उनको जो चीनी बनाते हैं, उस पर औसतन 215 रु० तो मिल जाना चाहिए क्योंकि अगर उत्पादन के व्यय से कम उन को मिले तो चीनी उद्योग नहीं चल सकता। हम जो लेबो शुगर लेते हैं 65 फीसदी वह उनसे 168 रु० प्रति क्विंटल पर वसूल कर ली जाती है। इस पर 15 फीसदी पहले एक्साइज ड्यूटी लगती थी, 22 से 25 रु० प्रति क्विंटल उसका वितरण व्यय होता था। यह सब जोड़ कर 215 रु० प्रति क्विंटल पर फेयर प्राइस में जाकर बैठती थी। लेकिन जो 215 रु० पर विकता है वह 168 रु० पर मिल मालिकों से वसूल किया गया जो जाहिर है उनको 47 रु० प्रति क्विंटल का नुकसान हुआ और कितने पर नुकसान हुआ? 65 फीसदी उत्पादन पर। इस कमी को पूरा करने के लिए अगर थोड़ा सा गणित का प्रयोग करे तो माननीय सदस्य इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि उनको खुले बाजार में चीनी का मूल्य जो मिलना चाहिए, एक्साइज ड्यूटी वगैरह जोड़ कर, वह 303 रु० होगा। 303 रु०, 35 फीसदी पर अगर बिके और 168 रु० पर अगर 65 फीसदी बिके, तो फिर पूरे पर जा कर 215 रु० बैठेगा। श्रीमन्, जिस समय यह पिछले साल गन्ने का मूल्य निश्चित किया गया था उस समय खुले बाजार में शक्कर की कीमत 480-500 रु० क्विंटल थी।

श्री कल्पनाथ राय : आदरणीय उप-सभाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही विवादास्पद सवाल है। मैं स्पष्ट पूछना चाहता हूं कि क्या जनता सरकार ने गन्ना मिल-मालिकों के ऊपर 85 करोड़ रु० की एक्साइज ड्यूटी इस साल माफ की है या नहीं? इसका जवाब "नो" या "यस" में दें। इस तरह से चारों तरफ से घेर-घार करके लाजिक पेश करना उचित नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या 85 करोड़ रु० एक्साइज ड्यूटी इस जनता सरकार ने मिल-मालिकों को माफ किया है या नहीं?

श्री भानु प्रताप सिंह : श्रीमन्, हां ऐसी बात है। मैं फिर भी उनसे कहूंगा कि धीरे-धीरे रख कर वे सुनें मैं उनकी ही बात का जवाब दे रहा हूं। जब तक 303 रु० पर न बिके तब तक उन को 215 पूरा नहीं हो सकता है।

5 P.M. औसत लगाया गया है साल का सिर्फ

280 रु० पर। 280 जब हम कहते हैं तो इसमें एक्साइज ड्यूटी नहीं जुड़ी है। 480 और 500 जब हमने कहा तो उसमें एक्साइज ड्यूटी जुड़ी हुई है। तो 303 पर जब हम ने उनकी कीमत कर दी गई थी फैक्टिरियों की तो वह 480 के करीब पहुंच जाती है बाजार में जब 410 और 420 हो गई तो वह उन को मिलने वाली कीमत जो है वह 280 रह गयी। तो 280 तीनसौ तीन के मुकाबले मिले तो फैक्टिरियों को घाटा हुआ। अब हमारे माननीय सदस्य बहुत शिकायत करते हैं कि इस साल मिलें देर से चलीं। ठीक है, देर में चलीं।

श्री कल्पनाथ राय : श्रीमन्, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं।

श्री भानु प्रताप सिंह : मैं यील्ड नहीं करता। आप सवाल पूछ चुके हैं। मैं यील्ड नहीं कर रहा हूं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. M. TRIVEDI): Mr. Kalp Nath, the Minister has already tried to explain twice the very point which you have raised. I cannot see..

SHRI KALP NATH RAI: But he has not replied to my question whether they have given Rs. 85 crores.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. M. TRIVEDI): He has already explained how this has been arrived at and how all the different prices have been arrived at.

SHRI KALP NATH RAI: It is only to defend the mill-owners.

श्री भानु प्रताप सिंह : श्रीमन्, मैं कह रहा था कि वास्तव में यह फैक्टिरियां क्यों नहीं चलीं। क्यों देर में चलीं। उनका कहना यह था कि हम घाटे की स्थिति में हैं। आप हिसाब जोड़ लीजिए। अब इस घाटे की स्थिति को पूरा करने के लिए हमारे सामने चार रास्ते थे। या तो हम लेवी प्राइस बढ़ा देते या खुले बाजार में माल की दर बढ़ जाने देते। 480 और 500 जैसा था आज से 12 महीने पहले, या हम गन्ने की कीमत गिरा देते और या हम एक्साइज ड्यूटी में रिलीफ देते। इन चार के अलावा कोई और पाचवां रास्ता मुझे बता दें तो उसकी बात को स्वीकार करने को तैयार हूं। लेवी शुगर की कीमत नहीं बढ़ाई जा सकती थी क्योंकि कल्पनाथ राय जी की जो सरकार थी उसने आदत खराब कर दी थी 2.15 के भाव की शक्कर खाने की। फ्री शुगर की कीमत भी बढ़ाना उचित नहीं समझा गया। किसानों के गन्ने के मूल्य भी घटाना उचित नहीं समझा गया तो एकमात्र रास्ता जिस से कि इंडस्ट्री चल सकती थी, चलती रह सकती थी यह थी कि उनको एक्साइज ड्यूटी में रिलीफ दी जाए। यह एक्साइज ड्यूटी में जो रिलीफ दी गई है वह वास्तव में इसलिए दी गई है कि किसानों को पुराने भाव पर ही गन्ने की कीमत मिलती रहे। यह सोचने की बात है, जो सोच नहीं सकते मैं उनको उत्तर नहीं दे सकता, लेकिन जिस समय 480 और 500 रुपए में चीनी बिक रही थी उस वक्त गन्ने का जो दाम था अगर वही उन्हें दाम दिलाना है और वह 480 और 500 की कीमत को घटा कर 410 पर रखना है तो एक्साइज ड्यूटी में रिलीफ दिए बिना काम नहीं चल सकता। यह उनके लिए हमने नहीं किया, यह इंडस्ट्री के लिए किया है। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो इंडस्ट्री नष्ट हो जायगी और उससे किसानों का हित सिद्ध नहीं हो सकता। तो हमको इस प्रकार चलाना है। अगर एक्साइज ड्यूटी में रिलीफ नहीं दी गई होती तो फिर गन्ने का दाम 12 रुपये क्विंटल से ज्यादा नहीं

[श्री भानु प्रताप सिंह]

हो सकता था। यह केवल किसानों का पिछले साल का जो मूल्य है उसकी रक्षा करने की दृष्टि से और फैक्टरियां चलती रह सकें इस दृष्टि से दिया गया है।

श्री श्याम लाल यादव : मैं क्षमा चाहते हुए भी पूछना चाहता हूँ कि मंत्री जी के पहले जो विचार थे किसानों के गन्ने के मूल्य के सम्बन्ध में और बाजार में उपभोक्ता को चीनी दिलाने के लिये, क्या मैं यह मान लूँ कि वे विचार माननीय मंत्री जी के गलत थे या यह मानूँ कि आज शासन में आने पर ऐसी परिस्थितियाँ पैदा हो गयी हैं कि जो ब्योरोक्रेसी है उसके मुकाबले मंत्री जी कुछ करने में अक्षम हैं। यह बताने की वह कृपा करें।

श्रीमन्, यह पुरानी बातों का हवाला देते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि कब मैंने भिन्न बात कही। किसी का कोई रेकार्ड है या केवल कल्पना कर लेते हैं ऐसी बातों की। मैं जो एक संतुलित और रैशनल पालिसी है उसका ही हिमायती हूँ। मैं इनका अंधा हिमायती नहीं हो सकता हूँ और वही बात कहूँगा जो परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कही जा सकती है।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूडावत (राजस्थान) : मुझे तो एक सन्देह है कि वही शक्कर का भाव था, वही गन्ने का भाव था तो एकदम इतने करोड़ रुपये का घाटा केवल इसी साल कैसे हो रहा है?

श्री भानु प्रताप सिंह : यह मैं आपको बताता हूँ। यह बिल्कुल आसान है। जब गन्ने का मूल्य निश्चित किया गया था उस समय खुले बाजार में भाव 480 से 500 रुपये का था पिछले साल, आज वह मूल्य घटकर 410 के इर्द-गिर्द है। तो क्या आपको यह अंतर नहीं दिखाई देता है?

श्री कल्पनाथ राय : पिछले साल चीनी का दाम खुले बाजार में 300 रुपये क्विंटल था और यह सरकार पूँजीपतियों को 85 करोड़ की ऐक्साइज ड्यूटी माफ कर उनके हाथ में खेल रही है। . . . (Interruptions)

श्री भानु प्रताप सिंह : खैर 85 करोड़ तो इनकी कल्पना है। वास्तव में अगर पिछले साल ही वे बराबर चीनी की खपत हो तो 6५ करोड़ का नुकसान होगा। लेकिन चूँकि ज्यादा पैदावार होने वाली है, इसलिए हमारा अनुमान है कि ऐक्साइज ड्यूटी में कमी 14 से 37 करोड़ रुपये की होगी।

श्री श्याम लाल यादव : प्राइस तो साढ़े चार सौ से कम नहीं है बाजार में।

श्री भानु प्रताप सिंह : आपकी मान्यता जो अखबारों में छपता है उसको मानूँ।

श्री इन्द्र दीप सिंह : मंत्री महोदय से मैं यह जानना चाहूँगा कि क्या यह सही नहीं है कि अक्टूबर में आपकी सरकार ने चीनी मिल मालिकों के साथ समझौता किया था कि दिसम्बर तक वह 4.98 पैसे प्रति किलो की दर चीनी का बनाये रखे। यह आपने समझौता किया था और इसी समझौते के अनुसार वह बेच रहे हैं।

श्री भानु प्रताप सिंह : श्रीमन्, समझौता तो पहले हुआ करते थे। अब कोई समझौता नहीं होता। हम निर्णय करते हैं। अभी-अभी जो क्विन्ट ने 27 अक्टूबर को निर्णय लिया है वह यह है कि खुले बाजार में . . . (Interruptions)

श्री मुलतान सिंह (हरियाणा) : श्रीमन्, एक बात पूछना चाहता हूँ। आपकी पार्टी तो समझौते से बनी है। आपने फरमाया कि समझौते तो पहले होते थे, अब नहीं होते।

मैंने कहा कि आपकी पार्टी तो समझौते से ही बनी है।

श्री भानु प्रताप सिंह : श्रीमान, दूसरा प्रश्न उठाया जाता है कि बड़ी मिलों को ऐक्साइज में रिलीफ दी गई तो खाडसारी को क्यों नहीं दी गई? श्रीमान, इनकी समझ में नहीं आयेगी बात, लेकिन दूसरों के लाभ के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि दोनों की कास्ट स्ट्रक्चर में अन्तर है। चीनी अंतिम प्रोडक्ट है, लेकिन एक का दूसरे से कोई सम्बन्ध नहीं है। मैंने बताया कि किन परिस्थितियों में ऐक्साइज ड्यूटी में रिलीफ देनी पड़ी क्योंकि 2.15 कास्ट आफ प्रोडक्शन नहीं पूरी होती थी, लेकिन जहाँ तक खाडसारी का सम्बन्ध है, इसकी कुल कास्ट आफ प्रोडक्शन 265 रु० प्रति क्विंटल है अधिक से अधिक उसमें ऐक्साइज ड्यूटी जोड़ने के बाद। मगर आज भी सभी बाजारों में खाडसारी उससे ज्यादा कीमत पर बिक रही है। अगर कोई चीज उससे ज्यादा कीमत पर बिक रही है जो उसकी कास्ट आफ प्रोडक्शन है तो मेरी समझ में नहीं आता कि केवल इसलिए कि हमारे पड़ोसी को जो मुसीबत में था उसको लिए कुछ किया तो इसलिए हमारे लिए भी होना चाहिए। वास्तव में खाडसारी उद्योग को झटका तब लगेगा जब चीनी का खुले बाजार में मूल्य साढ़े 3 सौ रुपये से नीचे आयेगा। तब तक कोई खतरा नहीं है। मैं आपके सामने 9-12-77 के भाव उद्धृत करता हूँ—

हापुड़ में सल्फिटेड प्रोसेस से बनी खांड का भाव 330 रुपये था, देसी वाली का 280 था। दिल्ली में यह भाव 360 और 315 था। जब कास्ट आफ प्रोडक्शन 265 रु० से अधिक नहीं है तो फिर किस लिए रिलीफ मिलना चाहिए?

श्री कल्पनाथ राय : श्रीमान, जनता पार्टी की सरकार ने यह वायदा किया था कि वह

श्री जवाहर लाल नेहरू की हेवी इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने की पालिसी के बजाय गांवों के अन्दर जो उद्योग हैं उनको बढ़ावा देगी, उसमें सम्बन्ध में उसने क्या किया है? क्या यह भी सही है कि गांवों के अन्दर जो उद्योग हैं उन पर ऐक्साइज ड्यूटी कम करने के बजाय यह सरकार पूँजीपतियों के उद्योगों पर ऐक्साइज ड्यूटी कम कर रही है?

श्री इन्द्रदीप सिंह : क्या यह सही नहीं है कि उत्तर प्रदेश में खांडसारी प्रोडक्शन पर 25 पैसे की लेवी ली जाती है और उसका रेट 2.35 रु० प्रति किलो है?

श्री भानु प्रताप सिंह : आपके पास यह गलत सूचना है। उत्तर प्रदेश की सरकार कोई लेवी खाडसारी पर नहीं लेती है। खांडसारी एक लाभप्रद उद्योग है और जब इसको किसी प्रकार का कोई खतरा उत्पन्न होगा तो निश्चित रूप से हम उसकी रक्षा करने की कोशिश करेंगे।

श्रीमान, यह प्रश्न उठाया जाता है कि खाडसारी कुटीर उद्योग को बचाने के लिए जनता पार्टी की सरकार ने क्या कदम उठाया है? वास्तव में स्थिति यह है कि हम ने जो डुअल प्राइस पालिसी चला रखी है उसके आधार पर ही खाडसारी उद्योग जिन्दा रह सकता है। अगर हम इस प्रकार की नीति नहीं अपनायेगे तो खाडसारी इस देश में बन्द हो जायेगी। एक तरफ हम से कहा जाता है कि खाडसारी को भी लाभ कमाने का अवसर दिया जाय और उसको छूट दी जाय और दूसरी तरफ कहा जाता है कि डुअल प्राइस पालिसी की प्रणाली को समाप्त कर दिया जाय तो 3 रु० के भाव पर शुगर बिक सकती है। मैं पूछना चाहता हूँ कि उस हालत में खाडसारी का क्या होगा? श्रीमान, खाडसारी दो किस्म की होती है। एक तो सल्फिटेड प्रोसेस की और दूसरी देशी। जो

[श्री भानु प्रताप सिंह]

जो ब्रेथूम फेस्ट्री की शुगर होती है, उसमें 50-60 रु० कम दाम खांडसारी के होते हैं। जो नई किस्म की खांडसारी होती है और उससे भी 50-60 रु० कम दाम देशी खांडसारी के होते हैं। देशी खांडसारी केवल आधी बनाई जाती है। अगर वह तीन सौ हो जायेगी तो यह दो सौ हो जायेगी। ऐसी स्थिति में यह बात संभव नहीं है। लेकिन अगर खांडसारी उद्योग को समाप्त करना है तो यह दूसरी बात है। लेकिन हमारी जनता पार्टी की सरकार कुटीर उद्योगों को समाप्त करने के पक्ष में नहीं है। वह कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना चाहती है।

श्री रणबीर सिंह : आप एक्साइज ड्यूटी को माफ कर दीजिये।

श्री भानु प्राप सिंह : जब इसकी जरूरत पड़ेगी तो यह भी किया जायेगा। लेकिन अभी इसकी जरूरत नहीं है। यह भावनाओं में बहने वाला मामला नहीं है। आप आंकड़े देखिये। आप गणित के आंकड़े दे कर मुझे समझाइये तो मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ।

श्री इन्द्रदीप सिंह : इस पर विचार करने के लिए आप हाउस की एक कमेटी बना दीजिये।

श्री भानु प्रताप सिंह : इस संबंध में हाउस की कमेटी बनाने की आवश्यकता नहीं है। मैं हर एक व्यक्ति से मिलकर बात करने को तैयार हूँ तो कमेटी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है।

श्रीमती जयश्री कुमारी चंडावत : श्रीमान्, मैं एक निवेदन करना चाहती हूँ...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. M. TRIVEDI): May I request the

hon. Member, let the Minister finish and if there are any minor clarifications required, they can be raised after that.

श्री भानु प्रताप सिंह : श्रीमान्, प्रो० रंगा जी ने एक्साइज ड्यूटी कम करने की बात कही है। हम ने कम से कम शुल्कगत कर दी है और संभव है कि आगे और भी किया जायेगा। परन्तु यह बात ध्यान देने योग्य है कि कोई भी सरकार इतनी बड़ी रकम, जो एक्साइज में वसूल की जाती है, एकाएक नहीं छोड़ सकती है।

श्री कल्याण राय : एक्साइज ड्यूटी में आपने 85 करोड़ की छूट दी है?

श्री भानु प्रताप सिंह : पता नहीं आपके पास कहां के आंकड़े हैं।

श्रीमान्, अब प्रश्न उठता है, लेवी शुगर के वितरण का। मैं यह मानता हूँ कि गांव वालों को, सिवाय चार राज्यों को छोड़कर, चीनी का वितरण ठीक ढंग से नहीं हुआ। वे चार राज्य जहां पहले से सन्तोषजनक ढंग से वितरण हो रहा था,—पंजाब, हरियाणा, गुजरात और केरल—हैं। मैं इसको एक बहुत ही गलत बात मानता हूँ कि जो सुविधायें एक नागरिक को मिलें वह दूसरे नागरिक को न मिलें। यह हमारे संविधान के विरुद्ध है, उनका हक है पाने का और इसीलिए मैंने यह निश्चय किया है कि गांव वालों को और शहर वालों को समान रूप से चीनी का वितरण होगा। यहां यह शकायें उठाई गई कि शायद ऐसा हो नहीं सकेगा। मैं उनका ध्यान दो नहीं बल्कि तीन बातों की ओर दिलाना चाहता हूँ।

पहली बात तो यह है कि जो व्यवस्था इस देश के चार राज्यों में सन्तोषजनक ढंग से चल रही है, वह अन्य राज्यों में क्यों नहीं चल सकती? यदि प्रयास किया जाय तो चलना चाहिए। दूसरी बात मैं यह कहन

चाहता हूँ कि मैंने सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों को पत्र लिखा था कि आप इसकी व्यवस्था कर सकेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में समान रूप से चीनी का वितरण हो। हर एक ने उत्तर दिया है कि हम कर सकते हैं। अब उन्होंने कहा कि हम कर सकते हैं, करने को तैयार हैं, तो हम एकाएक कैसे उन पर अविश्वास कर लें। लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि यदि एक महीने या दो महीने के बाद यह साबित होगा कि चीनी का वितरण शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बराबर नहीं हुआ है, या नहीं हो सकता है तो सरकार जरूर इस पर पुनः विचार करेगी कि इस चीनी की दोहरी नीति को बनाये रखा जाय या इसमें संशोधन किया जाय।

श्रीमन, गन्ने के बकाया मूल्य के विषय में भी यहां कुछ चर्चा की गई। मैं यह बतलाना चाहता हूँ कि गन्ने के मूल्य पिछले सालों के मुकाबले में इस साल कम बकाया हैं। 15 अक्टूबर को यह बकाया 12 करोड़ 59 लाख थी, पूरे देश में। यह पिछले साल की बकाया है। यह कम इसलिए कहा जाता है कि इसे हम लोग अपने घर के हिसाब से नहीं देखते, मगर इसे एक पूरे राष्ट्र के हिसाब से लगाते हैं और उस हिसाब से यह केवल 2.1 प्रतिशत है और इसके पहले यह हमेशा ज्यादा रहा है।

एक माननीय सदस्य : अगर यह 12 करोड़ रुपया स्टेट गवर्नमेंट दे दे तो किसानों को . . .

श्री भानु प्रताप सिंह : इसके विषय में मैंने जो कहा, वह मैं आपसे निवेदन कर दूँ। यह 12 फीसदी जो सूद है, एरियर पर, उसको 15 फीसदी कर दिया जा रहा है। यह भी देखा गया है कि कोऑपरेटिव यूनियन खुद सूद को रख लेती है। वह कमीशन काट करके सूद किसानों को मिलना चाहिए। मैं माननीय सदस्यों को यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि इसको इम्प्लीमेंट करने में . . .

एक माननीय सदस्य : इसको केन्द्रीय सरकार नहीं देखती है, आपको राज्य सरकार पर दबाव डालना चाहिए।

श्री भानु प्रताप सिंह : अगर गन्ने के सूद का सवाल है और वह नहीं होता है तो आप समझ सकते हैं कि भारत सरकार सभी बातें नहीं कर सकती। क्षेत्र बंटे हुए हैं। हमारे इरादे नेक हैं। हम चाहते हैं कि किसानों की बिल्कुल बकाया न हो। इसलिए हम ने सूद की दर बढ़ा दी और उसकी वसूली के लिये सख्ती करने को कहा है और इसके परिणामस्वरूप कुछ काम भी हुआ है। जो एरियर्स हैं कुछ कम भी हुए हैं। लेकिन हर एक जो अपने को किसानों का हितैषी बताता है, उसका भी कर्तव्य होता है कि अपने राज्य स्तर पर, अपने जिला स्तर पर, अपने क्षेत्र की फैक्टरियों में, सब जगह यदि आप लोग देखते हैं, तो उसका कार्यान्वित कराने के लिये प्रयत्नशील रहे।

श्री कलनाथ राय : कितने दिनों के अन्दर आप 12 करोड़ रुपये का बकाया वापिस दिलायेंगे ?

श्री भानु प्रताप सिंह : इसके लिए राज्य सरकारों को सारे अधिकार हैं। हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं। हम तो केवल राज्य सरकारों को लिख सकते हैं।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चंडावत : किसानों की सम्पत्ति जिस तरह से आप कुर्क कर देते हैं क्या मिल मालिकों की भी कुर्क कर सकते हैं ?

श्री भानु प्रताप सिंह : आपको मैं बता दूँ कि जहां तक कुर्क करने की बात है, कई फैक्टरियां ले ली गई हैं। अब मैं नेशनलाईजेशन पर आना चाहता हूँ। आप ने अच्छी तरह से याद दिला दिया है। यहां पर राष्ट्रीयकरण की बात कही गई। श्रीमन

[श्री भानु प्रताप सिंह]

आज जो चीनी के उद्योग की दुर्दशा है उसके लिए आपका 1959 का प्रस्ताव जिम्मेदार है जिस पर अमल नहीं किया गया।

श्री कल्पनाथ राय : 1959 नहीं 1969 कहिये...

श्री भानु प्रताप सिंह : चलो 1969 ही कह लीजिये। बहरहाल आपने प्रस्ताव तो पास किया लेकिन अमल नहीं किया। पास करना ही गलती थी और उस पर अमल न करना उससे भी बड़ी गलती है। उसके बारे में आप जानते ही हैं कि क्या हुआ। फैक्टरियों की सारी हालत खराब हो गई और शूगर इंडस्ट्री से पैसा निकाल निकाल कर लॉग दूसरी इंडस्ट्री में जाने लगे क्योंकि उनके ऊपर कोई तलवार नहीं लटक रही थी। जिसके फलस्वरूप आज यह दुर्दशा हो गई है। इसलिए मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ इस सरकार की यह राष्ट्रीयकरण की मंशा इसी लिए नहीं है कि राष्ट्रीयकरण करना है। हम राष्ट्रीयकरण करने की कोई मंशा नहीं रखते और न ही हम इसके विरोधी हैं और न ही समर्थक हैं। इसको हम सिद्धान्त रूप में नहीं मानते हैं। अगर किसी उद्योग में देश के लोगों का, देशवासियों के हित में राष्ट्रीयकरण होना है तो इसे हम करेंगे। लेकिन केवल डागमा के पीछे, एक सलोगन के पीछे हम ऐसा करने वाले नहीं हैं। अभी जो अनुभव हुआ है उत्तर प्रदेश में कई फैक्टरियां ले ली गई है। उसके बारे में मैं आपको दो चार दिलचस्प बातें बताना चाहता हूँ। अभी एक हफ्ते पहले जब फैक्टरियां नहीं चल रही थी तो कुछ एम०पी० ने प्राइम मिनिस्टर से कहा कि फैक्टरियां चलवाई जायें। उन्होंने मुझ से कहा उनको थोड़ा समय दे दो—48 घंटे का—72 घंटे का—अगर वे नहीं चलाते तो इन फैक्टरियों को टेक-ओवर कर लो। मैंने कहा मैं ऐसा जरूर करूंगा। संयोग से मैं

अपने कार्यालय गया। वहां मैंने पता लगाया कि कौन-कौन सी फैक्टरियां उत्तर प्रदेश में नहीं चल रही हैं तो मालूम हुआ कि जो नहीं चल रही है, वे 12 हैं और उसमें आठ राष्ट्रीय-कृत हैं। संयोग से शाम को प्राइम मिनिस्टर से फिर मुलाकात की। मैंने कहा:

Sir, I have already taken over 8 out of the 12 mills which were not working.

यह तो स्थिति है। जिस राष्ट्रीयकरण की बात करते हैं। मुझ से एक प्रश्न पूछा गया था कि कितनी शूगर का रिलीज आर्डर होता है, उसको किन-किन फैक्टरियों ने नहीं माना है और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जाती है। उसकी जांच करने पर मालूम हुआ कि वही चीनी के कारखाने हैं जो राष्ट्रीय-कृत क्षेत्र में आते हैं, सब से ज्यादा लैप्सेज है तो वे उन्हीं के अन्दर हैं। तो जब उनकी यह दुर्दशा है तब राष्ट्रीयकरण की चर्चा करना बिल्कुल निरर्थक है और जैसे मैंने कहा अगर आवश्यकता होगी जो फैक्टरियां अच्छे ढंग से चल रही है, किसानों को कीमत दे रही हैं, अपने मजदूरों को मजदूरी दे रही हैं, हर प्रकार का अपना ओबलीगेशन पूरा कर रही हैं, उनका राष्ट्रीयकरण करने का कोई इरादा नहीं है लेकिन जो ठीक से नहीं चल रही हैं उनके लिए तरकीबें सोची जायेंगी। कुछ तो ऐसी हैं जो इतनी बीमार हो गई हैं कि आपकी जो पालिसी थी उसके अन्तर्गत शायद अब उनको चिन्दा नहीं किया जा सकता। उनको हम मरने भी देंगे लेकिन जो जिन्दा होने के काबिल होंगी उनको जिन्दा करने के लिए जिन उपायों की आवश्यकता होगी उनको किया जायेगा। इसके लिए योजना पहले ही बनाई जा चुकी है। इन फैक्टरियों को अच्छे ढंग से चलाने के लिए उनको साफ्ट लोन भी देने जा रहे हैं और हर प्रकार से कोशिश की जा रही है कि जो सिक मिलें हैं वे फिर से ठीक दशा में चलें। एक बात जरूर आपकी मैं मान लेता हूँ। यह दूसरे माननीय सदस्यों ने भी कही है, इसको मैं स्वीकार करता हूँ।

चीनी के उत्पादन और शूगर के उत्पादन में अधिक रिसर्च होने की आवश्यकता है। इसको बढ़ाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा।

श्री कल्पनाथ राय : क्या उत्तर प्रदेश और बिहार में रिसर्च इंस्टीट्यूट आप खोलने जा रहे हैं या नहीं ? कुछ बात सही बोलिए।

श्री भानु प्रताप सिंह : देखिए, रिसर्च तो हो रहा है उत्तर प्रदेश में भी और बिहार में भी। आप जिस बात की बात कर रहे हैं वह अगर आप सुनें तो मैं बता दू। अभी तक केवल दक्षिण भारत में गन्ना फूलता था और उसमें सीड सेटिंग होती थी इसलिए दक्षिण भारत में ही सबसे पहले सिचं स्टेशन, कोयम्बटूर में खोला गया। वहां भी जो काम होता है वह उत्तर प्रदेश के जो रिसर्च करने वाले हैं उनके बताये हुए ढंग से उनसे यह कह दिया जाता है कि फलों फलों किस्म के गन्ने का कास करके उसका बीज दीजिये। कोयम्बटूर एक भौगोलिक स्थिति है, उसका यह महत्व रहा है कि वहां पर गन्ने में फूल आता है और ऐसा फल लगता है कि फिर अगली गन्ने की फसल उपजाई जा सकती है। ऐसा उत्तर भारत में किसी किसी वर्ष तो हो जाता है किन्हीं-किन्हीं स्थानों पर लेकिन व्यापक ढंग से उत्तर प्रदेश में यह बात सम्भव नहीं पायी गई है।

अब श्रीमत्, कोई अन्य प्रश्न।

श्री बापूरावजी माखतरावजी देशमुख (महाराष्ट्र) : मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि देश में हर एक राज्यों में जितनी शूगर फैक्टरीज हैं और गन्ना पैदा होता है तो हर एक स्टेट में उसका भाव क्यों कम, ज्यादा होता है।

जदूसरी बात जहां गन्ने की रिकवरी ज्यादा है, जहां से शूगर ज्यादा हो सकती है और उसकी वेस्टेज कम है वहां पर शूगर फैक्टरीज क्यों नहीं चला सकते, दूसरे राज्यों में क्यों

चलाते हैं जहां कि अच्छी शक्कर नहीं पैदा होती है।

श्री भानु प्रताप सिंह : श्रीमन्, जहां तक भारत सरकार का संबंध है यह तो गन्ने का न्यूनतम मूल्य घोषित करती है। यह तो कहा जा सकता है कि उसका व्यावहारिक कोई प्रयोग नहीं है। लेकिन हम तो उसका ऐसा मूल्य घोषित करते हैं जिससे नीचे कोई नहीं दे सकता। आज जो प्रचलित व्यवस्था है वह यह है कि राज्य सरकारें अपनी मिलों को जो मशिवरा देती हैं उसके अनुसार मूल्य निश्चित किया जाता है। इसको स्टेट एडवाइज प्राईस भी कहते हैं अब यह प्राईस स्टेट गवर्नमेंट पर निर्भर होती है। हम ने यह जरूर कर दिया है कि कहीं पिछले साल से कम न होने पाये। इसलिए यह एक लाईन जरूर खींच दी है कि पिछले साल जो मूल्य था उसे भाये नहीं। अगर अब कोई किसी कारण से, किसी के प्रभाव में ज्यादा कीमत दिला सकता हो और न दिलाता हो तो उसके लिए राज्य सरकारें ही जिम्मेदार हैं।

श्री कल्पनाथ राय : एक सवाल मुझे पूछना है कि क्या हिन्दुस्तान की शूगर की जो क्वालिटी है वह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इन्फीरियर है इसलिए हिन्दुस्तान की शूगर की खपत वहां कम हो रही है? तो क्या सरकार हिन्दुस्तान की शूगर की क्वालिटी को सुपीरियर बनाने के लिये कोई समयबद्ध ठोस योजना बना रही है

श्री भानु प्रताप सिंह : जसा मैं निवेदन कर चुका है कि इंटरनेशनल मार्केट में जो अच्छी शक्कर भी है उसकी कीमत भी कम है। हमारी क्वालिटी थोड़ी इन्फीरियर हो सकती है लेकिन इन्फीरियर होने के नाते उसका मूल्य कम नहीं लग रहा है बल्कि इंटरनेशनल प्राईस ही कम है। 1550 से 1650 पर टन है रुपये की शक्ल में।

श्री कल्पनाथ राय : क्या सरकार देश के लिये इन्टेग्रेटेड पालिसी फार द शूगर केन प्राईस करेगी ? पूरे देश में गन्ने की एक कीमत हो, इसके लिये क्या इन्टेग्रेटेड पालिसी फार दी प्राईस आफ दी शूगर केन, सरकार करेगी ?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. M. TRIVEDI): We must conclude this debate. I would now ask the Secretary-General to read out the message from Lok Sabha.

MESSAGE FROM THE LOK SABHA

The Payment of Bonus (Amendment) Bill, 1977

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report to the House the fol-

lowing message received from the Lok Sabha, signed by the Secretary of the Lok Sabha:

"In accordance with the provisions of Rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose herewith the Payment of Bonus (Amendment) Bill, 1977, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 12th December, 1977."

Sir, I lay the Bill on the Table.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. M. TRIVEDI): The House stands adjourned till 11 A.M. tomorrow.

The House then adjourned at thirty minutes past five of the clock till eleven of the clock on Tuesday, the 13th December, 1977.